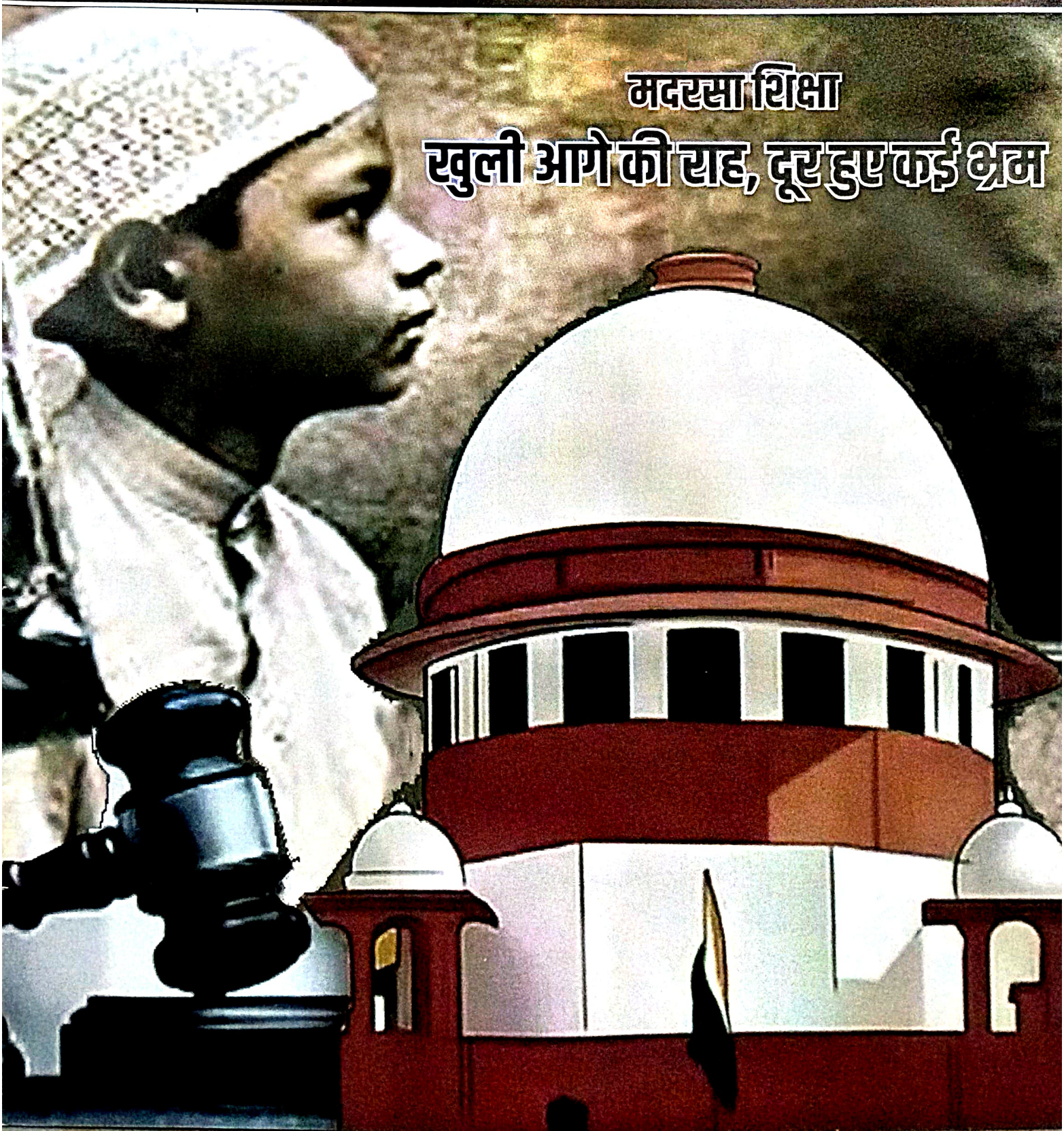
आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

दिसम्बर 2024

# क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹



## मदरसा शिक्षा
## खुली आगे की राह, दूर हुए कई भ्रम

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

# Sermad Traders

## Agriculture Input Dealer

B.H. Road, Tarikere, Chikkamagalore District




جس کو اللہ ہدایت دینے
کا فیصلہ کرتا ہے اس کے
سینے کو اسلام کے لیے
کھول دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

Website Link :
**www.kantimasik.com**

**संपादक**
शिब्ली अरसलान
abuaniqa@gmail.com

**प्रबंधक**
नईम ख़ान
+91 9891160829

**सहयोग राशि**
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

**कार्यालय :**
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

**हेल्पलाइन न॰**
**9818799223**

**Account Detail**
**NAME : KANTI**
**A/C NO : 0990839195**
**IFS CODE : IDIB000J029**
**TYPE : CURRENT**
**BANK : INDIAN BANK**
**BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA**
**NEW DELHI - 110025**

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

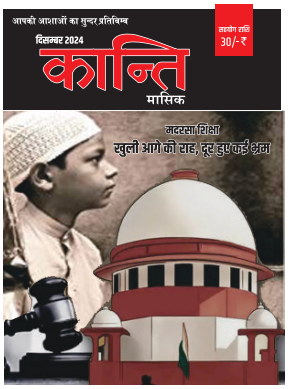
मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
**ASILA OFFSET PRINTERS**
**1299, KALAN MAHAL,**
**NEW DELHI-110002**

**संपादक : शिब्ली अरसलान**

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 34 अंक 06 दिसम्बर 2024

## आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब




# कान्ति
मासिक

## इस अंक में

**मूल प्रश्न** 04
भारत के मदरसे : न्यायालय का ताज़ा फ़ैसला और पूर्वाग्रहों के घेरे...
शिब्ली अरसलान

**चिंतन** 07
जीव-सृजन, विज्ञान और धार्मिक मान्यताएं
डॉ. मुहम्मद रिज़वान

**सौंदर्य बोध** 11
बुद्धि, विवेक और सत्य का संदेश
गुलज़ार सहराई

**मुख्य स्तंभ** 15
मदरसा शिक्षा : खुली आगे की राह, दूर हुए कई भ्रम
सुफ़ियान अहमद

**अभिमत** 19
धार्मिक शिक्षा का वैधानिक अधिकार
डॉ. हरबंश दीक्षित

**समाधान** 22
सुधार की संभावनाओं का सदैव स्वागत हो
संपादन प्रभाग

**कविता** 25
तुम्हारे पांवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं
दुष्यंत कुमार

**मंथन** 26
अनावश्यक हस्तक्षेप के ख़तरे
जितेंद्र गौतम

**पर्यावरण** 29
सांस का संकट और सुलगते सवाल
डॉ. प्रदीप कुमार

**नज़रिया** 32
एक ईश्वर, एक मानव, एक विधान
इमामुद्दीन रामनगरी

**प्रकाश स्तंभ** 35
सत्य का कोई विकल्प नहीं
वहीदुद्दीन ख़ां

**सेहत** 39
सावधान, सर्दियों में स्ट्रोक का ख़तरा!
संपादन प्रभाग

**करियर** 41
क्लाउड कंप्यूटिंग में बढ़ रहे हैं मौक़े
संपादन प्रभाग

**कहानी** 44
क्षमा
मुंशी प्रेमचंद

**आख़िरी पन्ना** 49
अंतिम मार्गदर्शक
सरफ़राज़ आलम

मूल प्रश्न

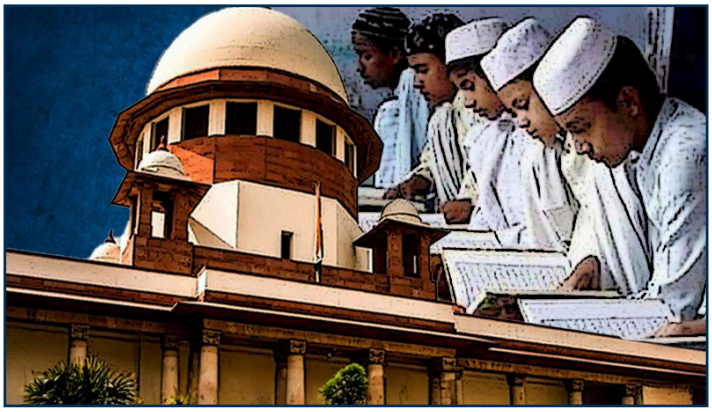


शिब्ली अरसलान

# भारत के मदरसे : न्यायालय का ताज़ा फ़ैसला और पूर्वाग्रहों के घेरे...

मेरे नज़दीक इस पढ़ी-लिखी अत्याधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि स्टीरियोटाइपिंग आम होती जा रही है। मोबाइल और सोशल मीडिया के द्वारा ऐसी कई 'सामने की सच्चाई' और घटनाओं के बारे में निरंतर दुष्प्रचार द्वारा जनमानस के अंदर ग़लत धारणा बिठा दी गयी है कि वैज्ञानिकता के झंडाबरदार भी इस पर प्रश्न खड़े नहीं करते, तर्क और दलील का ख़याल नहीं आता उन्हें।

इनमें 'मदरसा' एक ऐसी ही सच्चाई है, कल तक इस पर कोई हंगामा नहीं था। लोग निश्चिंत थे। मदरसों के योगदान को सम्मान की नज़र से देखा जाता था। मदरसों में पढ़ने-पढ़ाने वाले, मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ ग़ैर-मुस्लिम समुदाय के छात्र और शिक्षक भी होते थे। हिन्दी साहित्य के शिखर पुरुष मुंशी प्रेमचंद और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जैसी विभूतियां मदरसा शिक्षा ग्रहण की हुई नज़र आती हैं।



मगर पिछले कुछ वर्षों में मदरसों को लेकर इतना दुष्प्रचार किया गया, राई का पहाड़ बनाया गया कि बौद्धिक और गंभीर क़िस्म के लोग भी ग़लत धारणा लेकर बैठ गए जिसका इज़हार वे सोशल मीडिया पर खुलकर करते हैं।

ऐसे माहौल में 5 नवम्बर 2024 को मदरसा शिक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, उसने मदरसा के संबंध में प्रचलित धारणा पर विचार करने और मदरसों पर चर्चा को नई दिशा देने का काम किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फ़ैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को बरक़रार रखा है। कुछ प्रावधानों को छोड़कर, अदालत ने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' की संवैधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि "मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2004" का बड़ा हिस्सा क़ानूनन वैध और संविधान के अनुरूप है। इस निर्णय के बाद यूपी के मदरसों पर लटक रही तलवार अब हट गयी है, मदरसे अब सुचारू रूप से चलते रहेंगे और उनकी संचालन प्रक्रिया को क़ानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी।

सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला 22 मार्च 2024 को दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है, जिसमें यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह मज़हब के आधार पर अलग तालीम को बढ़ावा देता है, जो संविधान के मूल ढांचे 'धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत' का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले और उसके प्रभाव क्षेत्र को ठीक से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि मदरसे के बारे में जो ग़लत धारणा और अनर्गल प्रलाप है, उसकी हक़ीक़त समझी जाए।

सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मदरसा अस्ल में है क्या? अरबी शब्द 'मदरसा' का शाब्दिक अर्थ है–विद्यालय। दक्षिण एशिया में, यह विशेष रूप से इस्लामी धार्मिक शिक्षण संस्थान को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से इस्लामी विज्ञान पढ़ाने के लिए समर्पित हैं।

यह एक ऐसा संस्थान है जो युवा स्नातकों को तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है, जो अंततः इस्लामी न्यायशास्त्र (Islamic jurisprudence) अरबी भाषा, क़ुरानिक व्याख्या, इस्लामी सांस्कृतिक विरासत आदि जैसे विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों के मालिक होंगे। ये स्नातक अन्य चीज़ों के अलावा अरबी अनुवादक, इस्लामी उपदेशक, इमाम, इस्लामी वित्तीय विशेषज्ञ, शिक्षक और पत्रकार के रूप में अपना करियर विकसित कर सकते हैं।

मदरसों के संबंध में सबसे आम धारणा यह है कि मदरसे केवल इस्लामी धार्मिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, और समाज में कट्टरवाद और कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं। हालांकि यह बिल्कुल ग़लत है, क्योंकि जब छात्रों को इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उन्हें अन्य धर्मों का सम्मान करना, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative study of religions) और अंतर-धार्मिक सद्भाव विकसित करना सिखाया जाता है। दक्षिणी भारतीय राज्यों में मदरसे विशेष रूप से इसके शानदार उदाहरण हैं। केरल में मदरसे (अरबिक कॉलेज) समकालीन विषय (सेक्युलर ऐडुकेशन) और इस्लामिक विषय दोनों पढ़ाते हैं, जो छात्र सामान्य स्कूलों में जाना चाहते हैं उनके लिए शाम और दिन दोनों शिफ्ट होती हैं।

**इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि ये मदरसे बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षित करने की ज़िम्मेदारी उठाते हैं तथा वे अनेक ज़रूरतमंद छात्रों को भोजन और आवास जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं।**

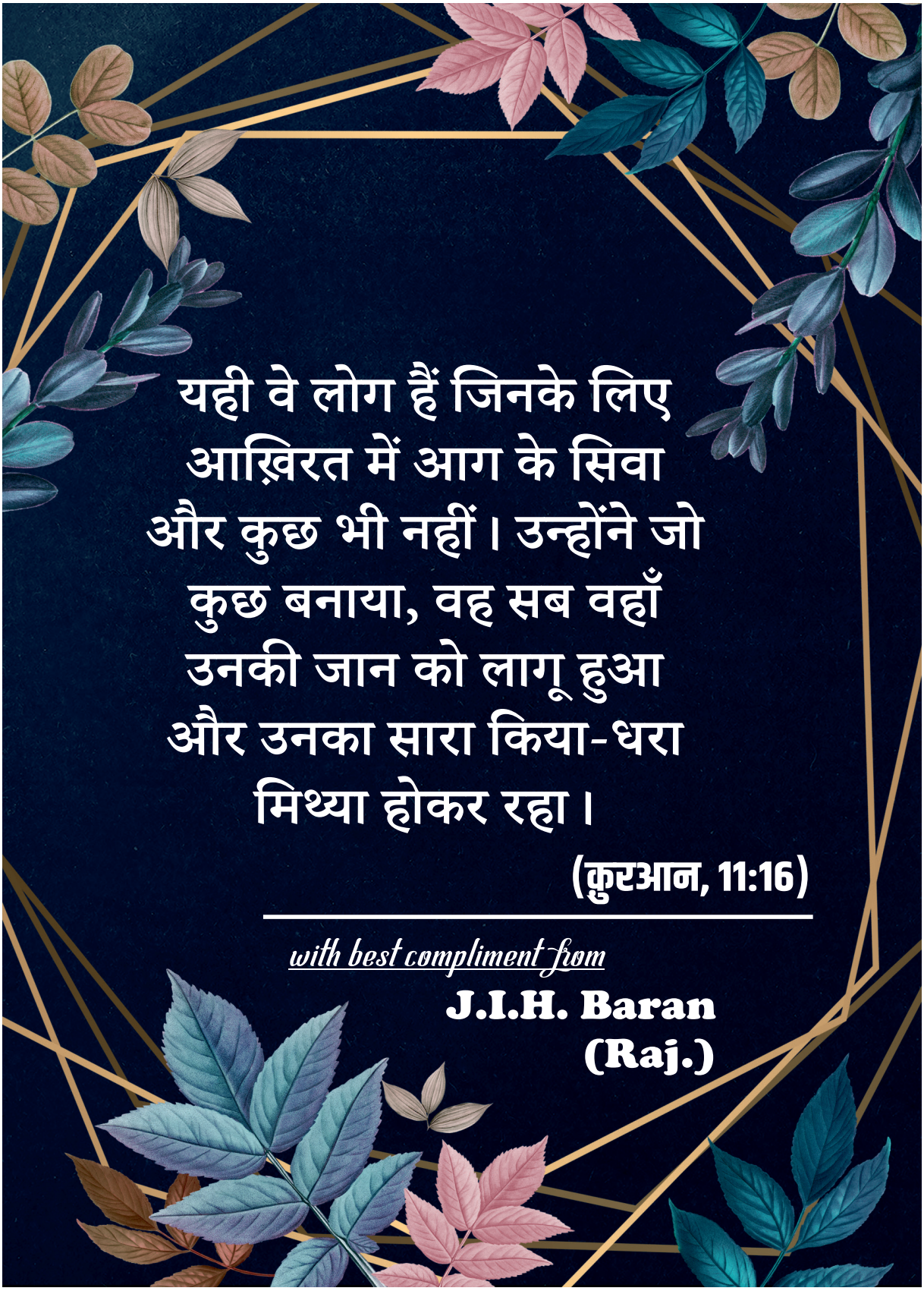
शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के मदरसों में मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम छात्रों को धार्मिक विज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि कई विषय पढ़ाए जाते हैं। कुछ शिक्षक ग़ैर-मुस्लिम पृष्ठभूमि से भी आते हैं और इस प्रकार ये मदरसे सामान्य स्कूलों की तरह काम करते हैं, जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देते हैं बल्कि भाईचारे की भावना भी पैदा करते हैं और युवा मन में एक समावेशी समाज (inclusive society) के आदर्शों को बढ़ावा देते हैं। यह मदरसों के संस्थापकों और हितधारकों (stakeholders) के नेक इरादों को प्रकट करता है, जो केवल तर्कसंगत विचारक और संवेदनशील व्यक्ति तैयार करना चाहते हैं जो समाज में स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम हों।

इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि ये मदरसे बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षित करने की ज़िम्मेदारी उठाते हैं तथा वे अनेक ज़रूरतमंद छात्रों को भोजन और आवास जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

आज, मदरसे मुस्लिम लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। मुस्लिम माता-पिता, जो अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक अनुकूल वातावरण चाहते हैं, उन्हें ये मदरसे एक अच्छा समाधान लगते हैं। जो माता-पिता लड़कियों को घर से दूर स्थित स्कूलों में भेजने से डरते हैं, उनके लिए मदरसे एक शानदार विकल्प हैं। इस तरह मदरसे सभी संशयवादियों को उनकी धारणाओं में ग़लत साबित करते हैं कि वे रूढ़िवादी हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं।

मदरसों के बारे में सबसे ख़तरनाक स्टीरियोटाइप यह है कि मदरसे आतंकवादियों के 'प्रजनन केंद्र' हैं। इस निराधार आरोप ने बहुत नुक़सान पहुंचाया है। यह देखा गया है कि मदरसे के स्नातकों को 'आतंकी घटनाओं' के लिए ग़ैर-क़ानूनी ढंग से उठाया गया और सलाखों के पीछे डाल दिया गया और अपने बहुमूल्य समय के कई वर्षों को कारावास में खोने के बाद रिहा कर दिया गया है। इसका न केवल व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि पूरे परिवार को परेशान करता है और परिणामस्वरूप भावी पीढ़ियों को अवसरों से वंचित करता है। राज्य और पुलिस द्वारा किए गए ऐसे कृत्य, संबंधित व्यक्ति से जुड़े अन्य लोगों के जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। राज्य के लिए अपनी ग़लती सुधारना या किसी व्यक्ति को वर्षों बाद रिहा करना आसान है, लेकिन जो समय बीत गया और जो सम्मान छिन गया, उसे कौन लौटाएगा, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है? हम मीडिया पर भी निर्भर नहीं रह सकते, हालांकि इस मामले में उसकी ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 के तहत देश के विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार देता है। इसलिए मदरसों के अस्तित्व पर सवाल उठाना पूरी तरह से संविधान विरोधी और निंदनीय है। उन्हें न केवल अस्तित्व में रहने दिया गया है, बल्कि हमारे समाज में पनपने का भी अधिकार है और संविधान के तहत उन्हें संरक्षण भी दिया गया है। ■■


यही वे लोग हैं जिनके लिए
आख़िरत में आग के सिवा
और कुछ भी नहीं। उन्होंने जो
कुछ बनाया, वह सब वहाँ
उनकी जान को लागू हुआ
और उनका सारा किया-धरा
मिथ्या होकर रहा।
(क़ुरआन, 11:16)
with best compliment from
J.I.H. Baran
(Raj.)

# जीव-सृजन, विज्ञान और धार्मिक मान्यताएं



चिंतन



डॉ. मुहम्मद रिज़वान

**आधुनिक युग में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजियां अस्तित्व में आई हैं जिन्होंने कई दृष्टियों से मौलिक धार्मिक मान्यताओं और समाज पर बिल्कुल अलग आयामों से अपना प्रभाव छोड़ा है और अब भी वह लगातार इसे प्रभावित कर रही हैं और निकट भविष्य में और अधिक करेंगी।**

आम तौर पर यह समझा जाता है कि प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) केवल वैज्ञानिक जानकारियों के अनुसार उपकरण और मशीनें बनाने का नाम है, या टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक जानकारियों का परस्पर योग है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके विलासिता के सामान बनाने या समय और ऊर्जा को बचाने की प्रक्रियाओं (processes) के निर्माण का नाम है। यह टेक्नोलॉजी की समझ का एक स्तर है। दूसरे स्तर पर यह समझा जाता है कि तकनीक वास्तव में अच्छी या बुरी नहीं है बल्कि उसका उपयोग अच्छा या बुरा होता है। इसे टेक्नोलॉजी की मूल्य तटस्थता (value neutrality) कह सकते हैं। यह अब पुराना हो चुका है। परमाणु टेक्नोलॉजी का उदाहरण दिया जाता है कि इसका उपयोग करके आप बिजली बना लें या परमाणु बम बना लें। इसी तरह, ध्वनि तरंगों पर आधारित टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग करके शरीर के अंदर होने वाली बीमारियों का पता कर लें या गर्भ में भ्रूण का लिंग मालूम करके उसे मौत के घाट उतार दें।

लेकिन यह आख्यान (narrative) केवल कुछ टेक्नोलॉजियों के लिए ही सही हैं। अब टेक्नोलॉजी के निर्माण, संशोधन और विकास में जीवन की अवधारणा का हस्तक्षेप बहुत बढ़ चुका है और हमारा मानना है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजियां अस्तित्व में नहीं आतीं अगर एक विशेष जीवन अवधारणा विज्ञान के क्षितिज पर हावी न होती।

वर्तमान युग में टेक्नोलॉजी मूल्य तटस्थता और अच्छे-बुरे उपयोग के द्वंद्व (duality) से बहुत आगे निकल चुकी है। अब टेक्नोलॉजी समाज, धर्म और मान्यताओं तथा इन तीनों आयामों की परस्पर क्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। अभी हाल तक, जब भी धर्म, टेक्नोलॉजी और समाज के संबंध में चर्चा होती है, वह धर्म के प्रचार व प्रसार में इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग और धर्म की कुछ मान्यताओं के समर्थन एवं समझ में टेक्नोलॉजी की भूमिका तक ही सीमित रही है, लेकिन आधुनिक युग में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजियां अस्तित्व में आई हैं जिन्होंने कई दृष्टियों से मौलिक धार्मिक मान्यताओं और समाज पर बिल्कुल अलग आयामों से अपना प्रभाव छोड़ा है और अब भी वह लगातार इसे प्रभावित कर रही हैं और निकट भविष्य में और अधिक करेंगी।

ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology)।

कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और इससे जुड़ी प्रौद्योगिकियां आम तौर पर कृत्रिम जीवन के निर्माण का (life forms) नाम है, जिनके उपयोग से दुनिया में मौजूद बीमारियों और पर्यावरणीय समस्याओं का हल किया जा सके, लेकिन यह परिभाषा बड़ी सीधी-साधी परिभाषा है। दरअस्ल, कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी से अभिप्राय "जीवन निर्माण" के क्षेत्र में किये जाने वाले अथक प्रयासों से है। बहुत सारे शोधकर्ता इस चिंता में इसलिए सक्रिय हैं कि प्रारंभिक स्तर के जीवन को प्रयोगशाला में निर्मित करके निर्माता की उपाधि अर्जित कर सकें। और यह सब वास्तव में विज्ञान के नहीं बल्कि विज्ञानवाद के प्रभाव में है। वहीं यह बात भी सच है कि बहुत सारे कृत्रिम जीवविज्ञानी इस क्षेत्र में केवल बीमारियों और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए ही सक्रिय हैं। कृत्रिम जीवविज्ञान के सबसे बड़े नामों में से एक नाम जे. क्रेग विंटर का है। बीस वर्ष पहले इन्होंने और इनकी टीम ने विज्ञान की प्रतिष्ठित पत्रिका में एक अभूतपूर्व लेख लिखा। कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उन्होंने वह उपलब्धि हासिल की जो कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।[1] उन्होंने मशीन की मदद से डीएनए का निर्माण किया और इसे एक जीवाणु (Bacteria) के खोल में डाला, जिसका डीएनए निकाल दिया गया था और ऐलान किया–

Creation of a bacterial cell controlled by chemically synthesized genome.

अर्थात् रासायनिक रूप से संश्लेषित जीनोम द्वारा नियंत्रित जीवाणु कोशिका का ''सृजन''।

**यहां creation शब्द का गहरा अर्थ है। वे इसके स्थान पर गठन, कृत्रित रचना (formation,synthesis) या किसी अन्य शब्द का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने creation शब्द का इस्तेमाल किया और मानो इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रयोगशाला में जीवाणु कोशिका का "सृजन" किया जा सकता है। और यदि सैद्धांतिक रूप से एक जीवाणु का "सृजन" संभव है, तो जटिल जीवन का "सृजन" भी संभव है।**

यहां creation शब्द का गहरा अर्थ है। वे इसके स्थान पर गठन, कृत्रित रचना (formation,synthesis) या किसी अन्य शब्द का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने creation शब्द का इस्तेमाल किया और मानो इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रयोगशाला में जीवाणु कोशिका का "सृजन" किया जा सकता है। और यदि सैद्धांतिक रूप से एक जीवाणु का "सृजन" संभव है, तो जटिल जीवन का "सृजन" भी संभव है। इस शोध पत्र पर हर तरह की प्रतिक्रिया सामने आई।[2]

ईसाई जगत में कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी पर बिल्कुल नई बहसें छिड़ गईं। ईश्वरीय महिमा के साथ खिलवाड़ जैसे आख्यान और ज़्यादा तेज़ी से सामने आने लगे।[3]

कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी ने सृजन, गठन, संकलन एवं संपादन और कृत्रिमता के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर नये प्रकार के प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिये। उदाहरण के लिए, जीवन की परिभाषा पर तो बहुत कुछ लिखा, बोला और समझा जा चुका है, लेकिन आणविक स्तर पर जीवन की परिभाषा क्या होगी? शोधकर्ताओं के एक समूह का कहना है कि अगर आणविक स्तर पर जीवन की जो परिभाषा डीएनए के संदर्भ में की जाती है उसके अनुसार, जे. क्रेग विंटर और उनकी टीम इस नए जीवाणु की सृजक है। वह परिभाषा इस प्रकार है-

डीएनए—आरएनए—प्रोटीन

यानी हर वो चीज़ जीवित है जो डीएनए से आरएनए और फिर उससे प्रोटीन बना सके। इस प्रयोग में शोधकर्ताओं ने दावा किया कि जीवाणु

(1) Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome: (2010) Daniel G. Gibson, John 1. Glass et al Science 02 Jul 2010. Vol. 329, Issue 5987, pp. 52-56 DOI:10.1126/science.1190719

(2) Are You Playing God Synthetic Biology and the Chemical Ambition to Create Artifical Lif Joachim Schummer HYLE International Journal for Philosophy of Chemistry, Vol. 22 (2016) 149-172

(3) Playing God Synthetic Biology from a Protestant Perspective: (2013) Christina Aus der Au Worldviews, Vol. 17. No 1 (2013), pp. 48-59

का सृजन हुआ है, क्योंकि आणविक जीवविज्ञान के अनुसार, जीवन वह है जो डीएनए से प्रोटीन बना सके। अब चूंकि यहां जीवाणु का केवल खोल इस्तेमाल हुआ है और इस जीवाणु का डीएनए मशीन में निर्मित किया गया जिससे जीवाणु की सभी विशेषताएं जैसे उसका आयतन, लंबाई एवं चौड़ाई भौतिक और रासायनिक गुण सब कुछ निर्धारित होता है। इसलिए अब इसका मूल डीएनए तो निकाल दिया गया और कृत्रिम डीएनए इसके अंदर डाल दिया गया है। अतः एक छोटी अवधि में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के बाद यह जीवाणु वह जीव बन गया है जिसे जे. कैरिग वेंटोर (J. Carig Ventor) के साथियों ने बनाया या सृजन किया, न कि वह जिसका सृजन प्राकृतिक रूप से हुआ था!

यहां यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अनस्तित्व से अस्तित्व ही सृजन कहलाता है। और प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए निर्मित करके जो कुछ जे. कैरिग वेंटोर ने किया वह सिर्फ़ एक रचना है, सृजन नहीं और यह मात्र एक रचनात्मक विधि थी। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं और कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी से परे देखें, तो पता चलता है कि तर्क यह है कि प्रयोगशाला में मशीनों द्वारा जीव कोशिका (डीएनए) का बनाना और इसे एक जीवाणु के खोल में डालना वास्तव में डीएनए द्वारा नियंत्रित होने वाला जीवन है, भले ही इसकी सबसे सरल अभिव्यक्ति जीवाणु में ही प्रकट होना संभव हुआ हो, लेकिन यह इस बात की गारंटी है कि आप कृत्रिम जीवन निर्मित कर सकते हैं! आज यह सरल है, कल को आप सबसे जटिल जीवन भी निर्मित (या उनके शब्दों में सृजन) कर सकते हैं।

विशेषज्ञ स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह एक सिद्धांत का प्रमाण (proof of principle) है। इसलिए नास्तिकों ने इस शोध को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। दूसरी ओर बाइबल में हुए सृजन के उल्लेख पर विश्वास करने वालों ने भी उन्होंने इसके विरुद्ध ख़ूब लिखा है। दो दशक पहले हुए इस शोध ने जो कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी, ने औसत पढ़े लिखे यूरोपीय और अमेरिकी लोगों की धार्मिक चेतना और धर्म आधारित जीवन की अवधारणा पर असाधारण प्रभाव डाला है। सभी ईश्वरीय धर्मों में सृजन की अवधारणा अनिवार्य रूप से किसी अलौकिक सत्ता से जुड़ी हुई है। इस तरह की खोजें जब लोकप्रिय विज्ञान में आती हैं, तो लोगों की धार्मिक मान्यताओं (belief system) पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। वर्ष 2010 के बाद ईश्वर के सर्जक होने और सृजन की अवधारणा और कृत्रिम जीवविज्ञान एवं इससे जुड़े कई पहलुओं पर बहुत सारे शोध सामने आए। कई अध्ययन हैं जो कृत्रिम जीवविज्ञान और कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी के धार्मिक मान्यताओं पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल करते हैं। उदाहरण के लिए, निकोल ड्रैगो ज्लोरिक आदि ने यूरोपीय लोगों का सर्वेक्षण करने के बाद कहा कि ईश्वर पर विश्वास कृत्रिम जीवविज्ञान के रद्द से जुड़ी हुई है, लेकिन दृढ़विश्वास वाले लोग इसका विरोध विशेष धार्मिक मान्यताओं में इसके हस्तक्षेप के आधार पर करते हैं।[1] बहरहाल, मालूम हुआ कि कृत्रिम जीव विज्ञान आस्था पर प्रभाव डालता है।

इसी तरह, एल. कार्टर आदि ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों की मान्यताएं कृत्रिम जीवविज्ञान एवं कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) पर जनवरी 2021 में ट्रांसजेनिक रिसर्च नामक जर्नल में बहुत महत्वपूर्ण शोध परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।[2] उनके अनुसार, इस तकनीक के उपयोग पर ईश्वरीय सत्ता के

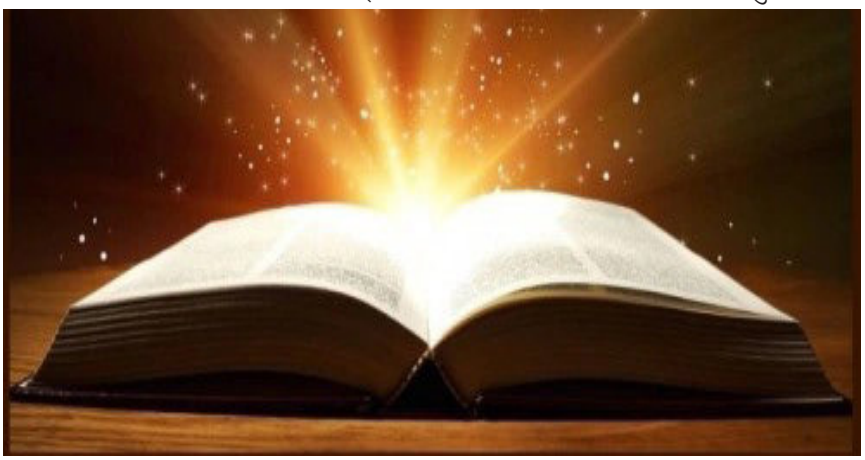
**यहां यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अनस्तित्व से अस्तित्व ही सृजन कहलाता है। और प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए निर्मित करके जो कुछ जे. कैरिग वेंटोर ने किया वह सिर्फ़ एक रचना है, सृजन नहीं और यह मात्र एक रचनात्मक विधि थी।इस टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) को वास्तव में सृजन के संदर्भ में विज्ञानवाद (scientism) के प्रचार के रूप में देखा जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से आमतौर पर यह भ्रम पैदा किया जाता है कि मानो मनुष्य प्राथमिक स्तर पर ही सही सृजन करने में सक्षम है।**

(1) Playing God or just unnatural Religious beliefs and approval of synthetic biology. (2012) Nicolas Dragojlovic. Edna Einsiedel Public Underst Sci. 2013 Oct:22(7):869-85 doi: 10.1177/0963662512445011. Epub 2012 May 24.

(2) Playing God and tampering with nature popular labels for real concerns in synthetic biology (2021), Carter L, Mankad A, Hobman EV, Porter NB Transgenic Res. 2021 Jan 27 doi: 10.1007/s11248-021-00233-2. Epub ahead of print. PMID: 33502671

साथ खिलवाड़ (playing god) जैसे आख्यान आंतरिक आपत्तियों (intrinsic objections) पर आधारित हैं, जो जनता में पाए जाते हैं। और शोधकर्ताओं को इस संदर्भ में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

कृत्रिम जीवविज्ञान और इससे संबंधित टेक्नोलॉजी न केवल सृजन के संदर्भ में आस्था पर लोगों में बेचैनी पैदा करती है, बल्कि कमज़ोर आस्था वाले लोगों को आधुनिक विज्ञान के ख़िलाफ़ भी खड़ा करती है, जो अंततः, संपूर्ण विज्ञान, धर्म, टेक्नोलॉजी और मान्यताओं जैसे आख्यानों को प्रभावित करती हैं।



शायद कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति ट्रांसह्यूमनिज़्म है, जो टेक्नोलॉजी और मान्यताओं के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रांसह्यूमनिज़्म इन्सान को वर्तमान शारीरिक और मानसिक सीमाओं से निकाल कर उसका विकास असीमित शारीरिक और मानसिक सीमाओं तक कर देना चाहता है। अर्थात् वास्तव में वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्रष्टा के सृजन में हस्तक्षेप करना चाहता है।

हमारे निकट ट्रांसह्यूमनिज़्म सिर्फ़ एक सिद्धांत या ऊल-फ़ूल और कल्पित विज्ञान कथा के रूप में ठंडे बस्ते में पड़ा होता, यदि कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी इसे व्यावहारिक पोषण न उपलब्ध कराती।

मैक्स मूरे के अनुसार, ट्रांसह्यूमनिज़्म उस दर्शन का नाम है जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मौजूदा मानव स्वरूप, उसकी ख़ामियों और उसकी सीमाओं को दूर करने और उसे विकास के शिखर पर पहुंचाए।[3] बज़ाहिर मासूम नज़र आने वाली इस परिभाषा का विस्तृत अर्थ भी देखें–

Transhumanist seeks to remix the legacy of humanist thought from a philosophy of life that rejects deities, faith and worship.

अर्थात् स्वाभाविक रूप से ट्रांसह्यूमनिज़्म विश्वास, उपासना और ईश्वर के दर्शन को अस्वीकार करता है।

वास्तव में ट्रांसह्यूमनिज़्म कृत्रिम जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक मानव-जैसी मशीन या मशीन जैसा मानव, बल्कि इससे आगे बढ़कर मनुष्य और उसके सृजन को मानवता के बिल्कुल अलग आयाम पर ले जाना चाहता है।

यह उन सभी मान्यताओं और विचारों को प्रभावित करता है जो सामान्य रूप से समाज में प्रचलित हैं और मानव समाज विभिन्न स्तरों की आचार संहिताएं (code of conduct) उनसे प्राप्त करता है। कृत्रिम जीव विज्ञान और इससे संबंधित टेक्नोलॉजी ने सृजन की मान्यता पर सीधा प्रभाव डाला है। विशेषकर ईसाई जगत में इस पर नियमित शोध मौजूद हैं।

इस टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) को वास्तव में सृजन के संदर्भ में विज्ञानवाद (scientism) के प्रचार के रूप में देखा जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से आमतौर पर यह भ्रम पैदा किया जाता है कि मानो मनुष्य प्राथमिक स्तर पर ही सही सृजन करने में सक्षम है। इसलिए ईश्वरीय गुणों में से सबसे महत्वपूर्ण गुण जोकि सृजन से संबंधित है वह ईश्वरीय गुण न होकर मानवीय गुण बन जाता है! बायोटेक्नोलॉजी में असाधारण विकास के बावजूद हज़ारों सवालों के जवाब आने बाक़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद टेक्नोलॉजी आज विज्ञानवाद के प्रभाव में है। केवल विज्ञान को ही ज्ञान का एकमात्र साधन मानने वाले विज्ञानवाद के आधार पर नास्तिकता ने ज़ोर पकड़ा। शुरू में विज्ञान को जानकारी के एक माध्यम के रूप में देखा गया। फिर इसका विकास जानकारी के वास्तविक माध्यम के रूप में होने लगा। धीरे-धीरे धर्म एवं विज्ञान और उनमें मतभेत के आख्यान सामने आये। फिर यह रुझान जड़ पकड़ने लगा। ■■

(3) TRANSHUMANISM Evolutionary Futurism and the Human Technologies of Utopia by Andrew Pilsch. Pg 1-2 Minneapolis. University of Minnesota Press, 2017

# बुद्धि, विवेक और सत्य का संदेश

अगर आप यह मानते हैं कि ईश्वर जैसी कोई सर्वोपरि सत्ता है जिसने यह सारी सृष्टि बनाई है, तो अवश्य ही आपके लिए यह मानना अनिवार्य हो जाता है कि फिर उसने इंसान के मार्गदर्शन का भी कोई प्रबंध किया होगा। यह मार्गदर्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य पशुओं की भांति मात्र जीव नहीं है, बल्कि वह बुद्धि एवं विवेक रखता है और यह बुद्धि और विवेक उसे अच्छाई और बुराई दोनों रास्तों की ओर जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऐच्छिक स्वतंत्रता का यह गुण केवल मानव रूपी प्राणी को ही मिला है, जिससे सकारात्मक काम लेकर जहां उसने ज्ञान-विज्ञान में उन्नति की है, वहीं इसका दुरुपयोग कर प्रकृति से खिलवाड़ करके न केवल प्राकृतिक व्यवस्था में बिगाड़ पैदा किया है, बल्कि अपने जैसे दूसरे मनुष्यों को तबाही के घाट भी उतारा है।

प्रकृति प्रदत्त मनुष्य की यही ऐच्छिक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि उसका सही दिशा में मार्गदर्शन किया जाए और उसे बताया जाए कि उसके लिए सही नीति क्या है और ग़लत क्या। केवल बुद्धि और विवेक के द्वारा यह निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अच्छाई और




बुराई का अपना मापदंड होता है। कोई काम किसी व्यक्ति की दृष्टि में अच्छा है, परन्तु दूसरे की बुद्धि उसे बिल्कुल ग़लत मानती है। ऐसे में किसे निर्णायक माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर इसके सिवा कुछ नहीं है कि मनुष्य के लिए क्या सही है और क्या ग़लत इसका निर्धारण वही कर सकता है जिसने सारे मनुष्यों को बनाया है। और न केवल बनाया है, बल्कि सही और ग़लत रास्तों की ओर जाने की स्वतंत्रता भी दी है। ऐसे में उस परम सत्ता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने इस विशेष प्राणी के मार्गदर्शन का भी प्रबंध करे, जिसने उसने मात्र पशुओं की तरह केवल एक प्रकार की प्रवृत्ति का पालन करने वाला नहीं बनाया है, जिसके तहत बकरी केवल घास खाती है, उसे कभी किसी पशु का शिकार करने का विचार भी नहीं आता, इसके विपरीत शेर केवल शिकार करके ही खाता है, वह कभी फल-सब्जियां खाने के बारे में नही सोचता।

इसलिए अगर आप यह मानते हैं कि ईश्वर जैसी कोई परम सत्ता है, तो फिर आप स्वयं को पशुओं की भांति मात्र एक जीव नहीं समझ सकते। बल्कि आपको यह भी मानना होगा कि ईश्वर ने अवश्य हमारे मार्गदर्शन का कोई न कोई प्रबन्ध किया होगा। पवित्र क़ुरआन

का दर्शन हमें यही बताता है। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, वह यह भी बताता है कि मनुष्य को ऐच्छिक स्वतंत्रता यूं ही नहीं दे दी गई, बल्कि परीक्षा हेतु दी गई है। और इस परीक्षा का परिणाम उसे मरने के बाद मालूम होगा कि वह ईश्वर के मार्गदर्शन से लाभ उठाकर सफल हुआ है, अथवा उसकी उपेक्षा करके असफल।

अगर आप सचमुच ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आपको इस पहलू से अवश्य सोचना चाहिए और सत्य की तलाश करनी चाहिए। यह बुद्धि और विवेक का भी तक़ाज़ा है और आपको मिली हुई ऐच्छिक स्वतंत्रता भी सही दिशा-निर्देशन की मांग करती है।




**इसलिए अगर आप यह मानते हैं कि ईश्वर जैसी कोई परम सत्ता है, तो फिर आप स्वयं को पशुओं की भांति मात्र एक जीव नहीं समझ सकते। बल्कि आपको यह भी मानना होगा कि ईश्वर ने अवश्य हमारे मार्गदर्शन का कोई न कोई प्रबन्ध किया होगा। पवित्र क़ुरआन का दर्शन हमें यही बताता है।**

अगरचे यह हक़ीक़त है कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इस्लाम से अनजान और अपने पारंपरिक रूप से मुसलमान होने पर संतुष्ट और मगन है, और उसे इसकी कोई परवाह नहीं है कि इस्लाम का सन्देश दूसरों तक पहुंचाना न केवल उसका फ़र्ज़ है, बल्कि ऐसा न करने पर परलोक में उसकी पकड़ भी हो सकती है। वहीं ऐसे मुसलमान भी मौजूद हैं, जो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम का सन्देश न केवल दूसरों तक पहुंच जाए, बल्कि वे इसे स्वीकार करके अपने वास्तविक पालनहार के आज्ञाकारी बन्दे बन जाएं।

ये कोशिशें विभिन्न तरीक़ों से की जा रही हैं, उनमें से एक तरीक़ा है, स्वयं हिन्दू धर्म ग्रन्थों से ऐसी चीज़े पेश करने का जो इस्लामी विचारधारा का समर्थन करती हों। लेकिन अगर गहराई से हालात का अध्ययन किया जाए तो महसूस होता है कि इस प्रकार के हवाले आज के दौर में पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं, और इनका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जायज़ा लेने के लिए इस प्रकार की पोस्टों के नीचे के वे कमेंट देख लेना काफ़ी होगा जो इन पोस्टों के जवाब में ग़ैर-मुस्लिमों की ओर से किए जाते हैं।

अव्वल तो हिन्दू धर्म ग्रन्थों का हवाला देना इसलिए भी ग़लत है, क्योंकि इससे यह ग़लत सन्देश जाता है कि मानो हम उन ग्रन्थों को ईश-ग्रन्थ मान रहे हैं, जबकि एक मुसलमान केवल उन किताबों को अल्लाह की किताबें मानने का पाबन्द है, जिनका ज़िक्र क़ुरआन में आया है। मसलन तौरात, ज़बूर और इंजील। इन तीन किताबों का ज़िक्र क़ुरआन में आया है [अगरचे इनमें भी फेरबदल हो चुका है] चौथी और फ़ाइनल किताब ख़ुद क़ुरआन है। इन चार किताबों के अलावा हम निश्चित रूप से किसी किताब को ईश ग्रन्थ नहीं कह सकते। अगर दूसरे धर्मों की किताबों में कुछ ऐसी बातें आई भी हैं जिनसे इस्लामी विचारधारा की पुष्टि होती है, तो भी हमें उनका हवाला नहीं देना चाहिए, क्यों? इसका जवाब आगे आ रहा है।

और जवाब यह है कि इससे एक ग़लत सन्देश तो यह जाता है कि हम उन किताबों की ईश-ग्रन्थ के तौर पर पुष्टि कर रहे हैं। इस तरह फिर वे लोग हमसे

मांग कर सकते हैं कि जब तुम हमारी किताबों की इन बातों को मानते हो, तो दूसरी बातें क्यों नहीं मानते? मीठा-मीठा हप-हप और कड़वा-कड़वा थू-थू का रवैया क्यों अपना रहे हो? ज़ाहिर है कि इसका हमारे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं होगा कि हमारे लिए अस्ल प्रमाण केवल क़ुरआन है, ऐसे में हिन्दू धर्म-ग्रंथों के हवाले देना निरर्थक हो जाता है।

दूसरी और सबसे अहम वजह है ख़ुद सम्बोधित व्यक्तियों की मानसिकता को न समझना। इस्लाम की दावत दूसरों तक पहुंचाने वाले हमारे भोले-भाले दाई हज़रात समझते हैं कि जिस तरह वे क़ुरआन को सनद मानते हैं, इसी तरह हिन्दू भाई भी अपने धर्म-ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं और अपने जीवन में उनसे शिक्षाएं ग्रहण कर उन्हीं का पालन करते हैं। जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है।

ग़ैर-मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग धर्म से बिल्कुल अनजान है। वह तो पारम्परिक मुसलमानों जितना भी अपने धर्म से लगाव नहीं रखता। वह सैद्धान्तिक नहीं, केवल सांस्कृतिक रूप से धार्मिक है। बाक़ी उसे इससे कोई लेना-देना नहीं कि धर्म-ग्रंथों में क्या लिखा है? मरने के बाद क्या होगा? साफ़ शब्दों में कहा जाए तो एक बड़े वर्ग का जीवन व्यावहारिक रूप से एक नास्तिक के जीवन के बराबर ही है। उच्च शिक्षा प्राप्त करना, पैसे कमाना, ऐशो-आराम की ज़िन्दगी जीना और फिर मर जाना। बाक़ी उसे और कोई मतलब नहीं। धर्म अगर कुछ होगा तो वह पंडे-पुजारी जानें। यह है एक आम हिन्दू की विचारधारा।

यहां किसी के मन में यह सवाल पैदा होगा कि भारत में तो इतने साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, क्या ये इस बात का प्रमाण



नहीं कि भारतीय अपने धर्म के प्रति कितने गंभीर हैं? इसका जवाब यह है कि जिन्हें धार्मिक भावनाएं समझा जाता है, ये दरअस्ल क़ौमियत की भावनाएं हैं, जातीयता के झगड़े हैं। वरना राम के लिए लड़ने वाले ख़ुद राम की जीवनी तक से परिचित नहीं होते, न उन्हें इससे सरोकार होता है कि वे जिनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में पढ़ें, और जानें।

सबसे बड़ा सुबूत तो यह है कि भारत में हिंदुत्व के ध्वजावाहक कभी ईश्वरीय आदेशों का पालन करने की बात नहीं कहते, कभी इस बात पर चिंता व्यक्त नहीं करते लोग ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। बस वह एक विशेष संस्कृति लागू करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने धर्म का नाम दे रखा है।

ऐसे लोगों पर भला इस बात का क्या असर पड़ेगा कि किसी धर्म-ग्रन्थ में किसी नराशंस ऋषि का उल्लेख आया है या कल्कि अवतार का उल्लेख किया गया है। उन्हें तो इसकी परवाह ही नहीं है, बल्कि वे तो इसे हंसी-खेल में उड़ा देते हैं (ऐसी पोस्टों के नीचे के कमेंट देखने से यही हक़ीक़त सामने आती है)

इसलिए दावत का काम करने के लिए जज़्बे के साथ-साथ हिकमत भी ज़रूरी है। व्यक्तिगत मुलाक़ात करते समय सबसे पहले सामने वाले का धर्म के प्रति दृष्टिकोण जानना ज़रूरी है। और फिर उसी के अनुसार उससे बात करनी चाहिए।

इसके विपरीत सार्वजनिक रूप से इस्लाम का सन्देश दूसरों तक पहुंचाने के लिए सबको नास्तिक मानकर बौद्धिक तर्कों के द्वारा अपनी बात रखनी चाहिए। इसलिए कि वर्तमान समय में बहुसंख्या व्यावहारिक रूप से नास्तिकों की है, और उन्हें समझाने के लिए धर्म-ग्रन्थों के हवाले नहीं, आपको बौद्धिक रूप से इस्लाम को सही सिद्ध करना आना चाहिए। ■■

# QUALITY FOODS

Seafood Processors & Exporters

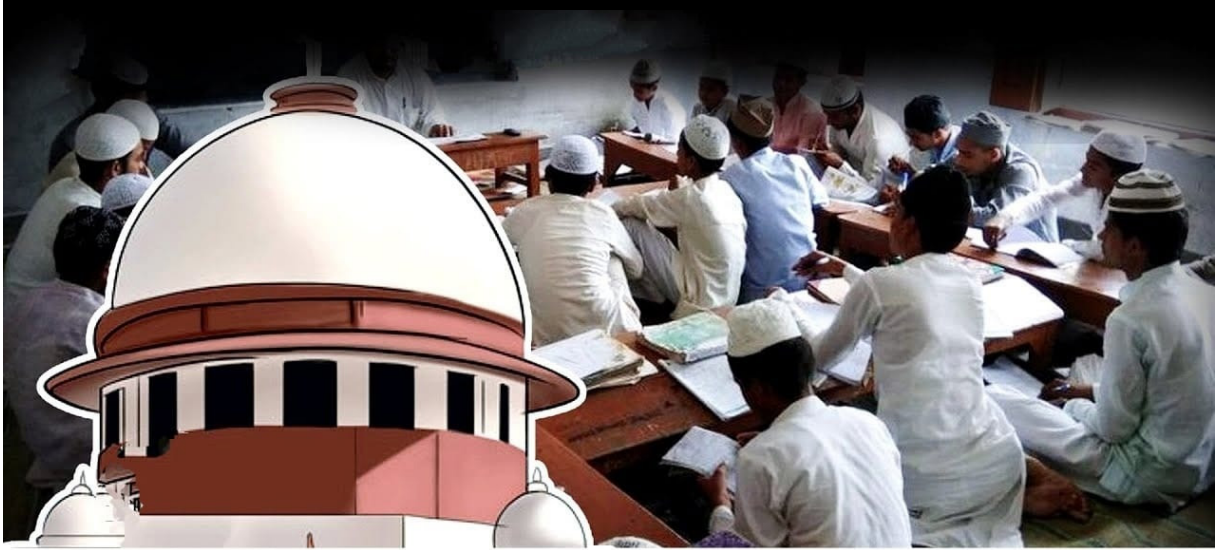
**AN ISO 9001:2008 COMPANY**



**FACTORY**

PLOT No. S.5B 39 5B 50A, CUNCOLIM INDUSTRIAL ESTATE,
CUNCOLIM, SALETE, GOA-403 703
TEL.: 91 832 2865610/11/12 | FAX: 832 2865609
Email: aualityfoods@sancharnet.in/qualityfoods@rediffmail.com

# मदरसा शिक्षा : खुली आगे की राह, दूर हुए कई भ्रम



उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फ़ैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। इसके ज़रिये एक ओर जहां मदरसों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियानों को रोकने में सहायता मिलेगी वहीं दूसरी ओर उन राज्य सरकारों के फ़ैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी जो मदरसों की व्यवस्था में अनावश्यक तौर पर दख़लअंदाज़ी करते हैं। यह फ़ैसला देश के सभी राज्यों के लिए नज़ीर बनेगा और इससे मदरसों के संचालन को मज़बूती मिलेगी।

भारत के मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर समाज में कई तरह की ग़लतफ़हमियां और भ्रांतियां फैलाई गई हैं। कुछ लोग मदरसों को मुस्लिम समाज में दकियानूसी विचार को फैलाने का आरोप तक लगाते रहे हैं, तो वहीं एक ख़ास विचारधारा के लोगों द्वारा मदरसों को आतंकवाद का अड्डा तक बताया जाता रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और

**मुख्य स्तम्भ**

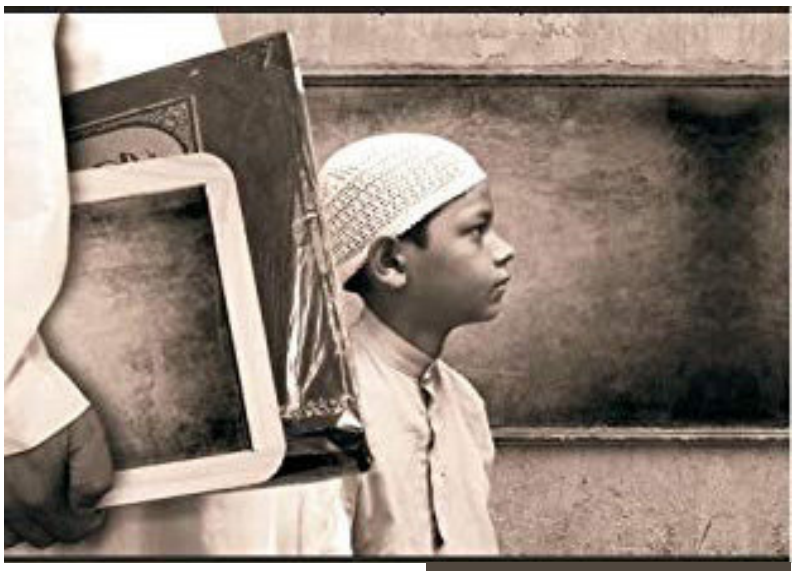


**सुफ़ियान अहमद**

है। आज भी मदरसे मुस्लिम समाज में शिक्षा, धर्म और संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम समाज के बच्चों का कुछ हिस्सा अपनी प्राथमिक शिक्षा इन्हीं मदरसों में पाता है।

मदरसा अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ विद्यालय होता है। भारत के मुग़लकालीन पीरियड में शिक्षा का एकमात्र केंद्र मदरसा होता था। समाज का हर तबक़ा यहां तक कि ब्राह्मण भी यहां शिक्षा ग्रहण करते थे। आज़ादी के बाद यह माना गया कि स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ऐसी स्थिति में मदरसा शिक्षा बोर्ड और संस्कृत शिक्षा जैसे बोर्डों की स्थापना हुई।

असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओड़िशा आदि प्रदेशों में ही 'राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड' हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे राज्यों में कोई मदरसा शिक्षा बोर्ड नहीं है। इनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे बड़े-बड़े राज्य भी हैं। देश के बहुत सारे राज्यों में निजी मदरसे आम



लोगों के चंदे से चलते हैं।

मदरसा एक्ट-2004 को निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए कहा–"मदरसा एक्ट अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रसार का प्रभावशाली ज़रिया है, इससे उनमें सुरक्षा व आत्मविश्वास पैदा होता है।" उल्लेखनीय है कि मार्च 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट-2004 को रद्द कर दिया था। वर्ष 2004 में लागू इस एक्ट का उद्देश्य राज्य में मदरसों के कामकाज को प्रबंधित और नियंत्रित करना था। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देख-रेख और निरीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना था कि यह एक्ट मज़हब के आधार पर अलग तालीम को बढ़ावा देता है, जो कहीं से भी संविधान की मूल भावना के अनुपालन में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार को नोटिस भेजा था। हाईकोर्ट ने जो भी टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पढ़ा और एक्ट को सही ठहराया।

**भारत में मुसलमान और मदरसों पर हमला करना एक राजनीतिक दल को अपने मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए सही लगता है, यही कारण है कि आजकल इस तरह के हमलों की बाढ़ आ गई है, लेकिन जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसों को सही ठहराया है, उससे यह साफ़ हो जाना चाहिए कि मदरसे भी उतना ही सही हैं, जितना कि कोई अन्य शिक्षण संस्थान।**

देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपने फ़ैसले में यह भी स्पष्ट किया कि हायर एजूकेशन को छोड़कर मदरसे में चल रहे सभी कोर्स उच्च न्यायालय के फ़ैसले से पूर्व वाले फ़ैसले की तरह मान्य होंगे। सरकार का भेदभाव करना शोभा नहीं देता।

भारत में मुसलमान और मदरसों पर हमला करना एक राजनीतिक दल को अपने मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए सही लगता है, यही कारण है कि आजकल इस तरह के हमलों की बाढ़ आ गई है, लेकिन जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने मदरसों को सही ठहराया है, उससे यह साफ़ हो जाना चाहिए कि मदरसे भी उतना ही सही हैं, जितना कि कोई अन्य शिक्षण संस्थान।

इस फ़ैसले के स्वागत के साथ ही इस बात के प्रयास भी होने चाहिए कि मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र आगे चलकर, अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पा सकें और जीवन के हर मैदान में अपने भविष्य को संवार सकें। ताकि इस प्रचार पर प्रहार किया जा सके कि मदरसों में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं।

भारत में मुस्लिम समाज के सामने कई तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक चुनौतियां हैं। इन तमाम तरह की चुनौतियों का ज़िक्र सच्चर कमेटी से लेकर रंगनाथ मिश्रा कमेटी तक कर चुकी हैं। सच्चर कमेटी ने तो मुस्लिम समाज की स्थिति दलितों से बदतर बतायी थी। ऐसे में शैक्षिक चुनौतियों से निपटने के लिए मदरसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अपनी धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान के साथ

देश के मदरसे मुस्लिम समाज में शिक्षा की नयी रोशनी फैलाने का काम कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के पूर्व संयोजक और बिहार में मुसलमानों के आर्थिक पिछड़ेपन पर शोध करने वाले शोधार्थी डॉक्टर जावेद आलम कहते हैं, 'मदरसों में पढ़ने वाले 90 फ़ीसदी बच्चे ग़रीब और अभावग्रस्त परिवारों के होते हैं। वो अनाथ भी हो सकते हैं। देश के अधिकांश आवासीय मदरसों में खान-पीना, रहना और पढ़ाई सभी मुफ़्त होती है। ऐसे में अभावग्रस्त अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में भेजना ज़्यादा आसान होता है। शिक्षा के साथ-साथ उसका 5-10 साल पालन-पोषण भी मुफ़्त में हो जाता है।'

देश में मान्यता प्राप्त कुछ मदरसों को सरकार फंड देती है, लेकिन ग़ैर-मान्यता प्राप्त और बिना मैप किए मदरसों को सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है। ऐसे मदरसे निजी स्रोत और चंदों से फंड जमा करते हैं। इस्लाम के मौलिक सिद्धांतों में से एक है, साल में अपनी संचित निधि से 2.5 फ़ीसदी धन ज़कात के रूप में ग़रीबों को दान करना। ग़ैर-मान्यता प्राप्त और बिना मैप किए मदरसों के फंड का सबसे बड़ा स्रोत यही माना जाता है।

देश में मदरसों की स्थापना करना या उसका संचालन करना संविधानसम्मत है। देश में रहने वाले किसी भी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को अपनी भाषा, लिपि और कल्चर को सहेजने और उसकी हिफ़ाज़त करने का अधिकार है। मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों के भी विशेष शिक्षण संस्थान होते हैं। संविधान के प्रावधानों के तहत न सिर्फ़ देश का मुसलमान बल्कि सिख और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हिन्दू धर्म के लोग भी सामान्य स्कूलों से हटकर धार्मिक शिक्षण संस्थानों का संचालन करते हैं। ईसाई मिशनरी स्कूल इसके उदाहरण हैं। वहीं, देश के कई राज्यों में मदरसा बोर्ड की तरह संस्कृत बोर्ड भी हैं, जो पूरी तरह सरकारी ख़र्चे पर चलते हैं। देश में कई गुरुकुल भी चल रहे हैं, जिसमें विशुद्ध रूप से सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती है।

भारत के मदरसों में इस्लाम धर्म के साथ उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, इंग्लिश गणित जैसे विषयों की भी पढ़ाई होती है, लेकिन धार्मिक विषयों की प्रमुखता होती है। मदरसे से जुड़े लोग मानते हैं कि सरकार सिर्फ़ मदरसों के सिलेबस को बदलना चाहती है। उसे उसके मॉडर्नाइज़ेशन से कोई लेना-देना नहीं है। सवाल यह भी है कि सरकार मदरसे का मॉडर्नाइज़ेशन क्यों करना चाहती है? क्या संस्कृत के स्कूलों में फ़िजिक्स पढ़ाया जाएगा? जिसे आधुनिक शिक्षा चाहिए वो स्कूल जाएगा। शिक्षा को लेकर नकारात्मक राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

अपराध और भ्रष्टाचार के मामले कहां नहीं होते हैं? ये स्कूल और कॉलेजों में भी होते हैं, लेकिन सरकार किसी एक दो कॉलेज की वजह से सारे कॉलेजों को तो ग़ैर-क़ानूनी नहीं बता देती। अगर सरकार यह चाहती है कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा को लेकर कुछ और बेहतर हो तो वह संबंधित लोगों के साथ बैठकर बात कर सकती है। मदरसे हमेशा से समाज के ग़रीब और ज़रूरतमंद बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई मदरसा ग़लत रास्ते पर जा रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सभी मदरसों को संदेह की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए।

मदरसों के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, इस दिशा में सभी प्रयास किए जाने चाहिए। इस शिक्षा प्रणाली को सुधारने के सकारात्मक प्रयासों में कोई बुराई नहीं लेकिन, पूर्वाग्रहों से भरकर इन पर कोई ऐसा निर्णय नहीं लादना चाहिए जो सौहार्दपूर्ण माहौल प्रदान करने बजाए साम्प्रदायिक रूप से बांटने वाला हो। दुख की बात ये है कि राजनैतिक दलों को इसमें सियासी मुद्दा नज़र आता है। ■■



## कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

**इस QR Code**

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

नोट :

अदायगी के बाद

**स्क्रीनशॉट**

इस नम्बर पर

**(9818799223)**

ज़रूर भेजें।

# धार्मिक शिक्षा का वैधानिक अधिकार



अभिमत



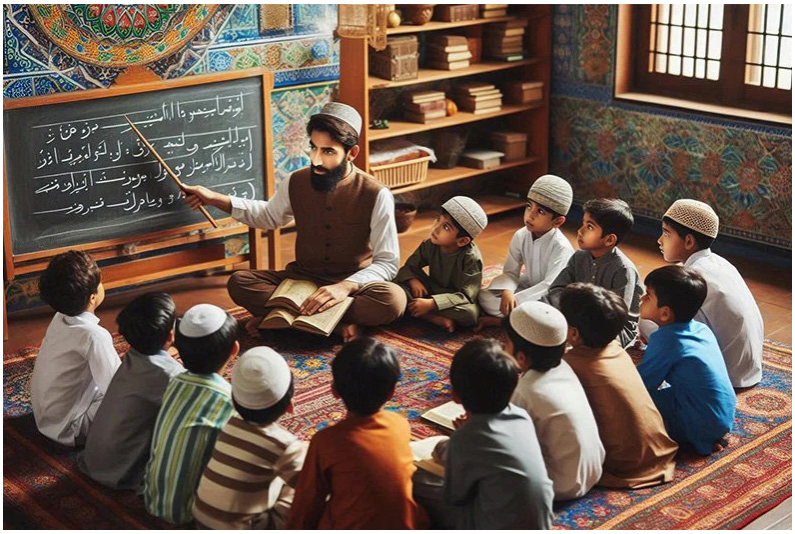
डॉ. हरबंश दीक्षित

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2004 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आम फ़ैसलों से अलग है। ऐसा बहुत कम होता है कि अदालत के किसी निर्णय से दोनों पक्षकार संतुष्ट हों, लेकिन इस मामले में ऐसा ही देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम क़ादरी और अन्य बनाम भारत संघ के निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट, 2004 को संवैधानिक ठहराया, किंतु कामिल (स्नातक) और फ़ाज़िल (परास्नातक) डिग्री देने से संबंधित प्रविधानों को यूजीसी एक्ट 1956 के विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट में यह मुक़दमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील के रूप में आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट, 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च, 2024 के अपने फ़ैसले में कहा था कि मदरसा बोर्ड की स्थापना संविधान के पंथनिरपेक्ष ढांचे, अनुच्छेद 21(क) में उल्लिखित अधिकार और सबको समान शिक्षा पाने के मूल अधिकार का उल्लंघन है। इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि उच्च न्यायालय में अल्पसंख्यकों को मिले मूल अधिकार की अनदेखी की गई है।

> **सर्वोच्च न्यायालय के सामने तीन प्रश्न थे। पहला यह कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनके संचालन के अधिकार का अर्थ और उसकी सीमा क्या है?**

सर्वोच्च न्यायालय के सामने तीन प्रश्न थे। पहला यह कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनके संचालन के अधिकार का अर्थ और उसकी सीमा क्या है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यह क़ानून पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है और तीसरा



**दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यह क़ानून पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है? और तीसरा यह कि अनुच्छेद 21(क) में दिए गए शिक्षा के मूल अधिकार और अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार के बीच क्या अंतर्संबंध है?**

यह कि अनुच्छेद 21(क) में दिए गए शिक्षा के मूल अधिकार और अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार के बीच क्या अंतर्संबंध है?

उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट, 2004 के माध्यम से मदरसा बोर्ड स्थापित किया गया था। इसके अधीन मदरसों को पांचवीं (तहतानियां), आठवीं (फ़ौकानिया), दसवीं (मुंशी-मौलवी), बारहवीं (आलिम), स्नातक (कामिल) तथा परास्नातक (फ़ाज़िल) डिग्री देने का अधिकार दिया गया था। मदरसा बोर्ड का तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं के संचालन का अधिकार है और संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होना चाहिए।


❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)




हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

| पेपर – पत्रिका | प्रति कापी | सालाना खरीददारी |
|---|---|---|
| ✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार | 7/- | 350/- |
| ✪ कान्ति मासिक पत्रिका | 30/- | 350/- |
| ✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक | 15/- | 750/- |
| ✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना | 35/- | 400/- |

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

मुहम्मद शहज़ाद (उत्तर प्रदेश), मोबाइल नं। : 9808080806

सर्वोच्च न्यायालय ने टीएमए पई फाउंडेशन (2002), इस्लामिक अकादमी ऑफ़ एजुकेशन (2003) तथा पीए ईनामदार (2005) जैसे कई मुक़दमों में यह कहा था कि अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक समाज को शिक्षण संस्थाएं खोलने और एवं संचालन का अधिकार है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट मान्यता रही है कि संस्थाओं के लोकतांत्रिक स्वरूप को बचाने तथा शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए नियमों को इन संस्थाओं को भी मानना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों की भांति उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट, 2004 के मामले में भी यही कहा कि अल्पसंख्यक समाज को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30(1) द्वारा दिया गया है। इसी के चलते उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का वह हिस्सा निरस्त कर दिया, जिसमें मदरसा बोर्ड को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि अल्पसंख्यक समाज अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार या उसके द्वारा स्थापित नियामक संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियम अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी बाध्यकारी होंगे। यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली डिग्री की मान्यता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्था खोलने के अधिकार और डिग्री की मान्यता को अलग-अलग देखा जाना चाहिए।

अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक समाज को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार देता है, किंतु इसके अंतर्गत संस्थाओं की डिग्री को मान्यता मिलने का अधिकार शामिल नहीं है। डिग्री की मान्यता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली डिग्री का नियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसके द्वारा व्यापक नियम बनाए गए हैं।

चूंकि मदरसा बोर्ड विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ़) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं, इसलिए उसके द्वारा दी जाने वाली कामिल तथा फ़ाज़िल की डिग्री विधिसम्मत नहीं। पांचवीं, आठवीं, दसवीं तथा बारहवीं के समकक्ष जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे अवैध नहीं हैं, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार उनका भी नियमन कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मदरसा शिक्षा से जुड़े कई भ्रम दूर करेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी मदद करेगा। मदरसा संचालित करने के अधिकार को मान्यता मिलने से अल्पसंख्यक समाज को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा तो की गई है।

किंतु यह भी स्पष्ट किया गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य छात्रों की तरह स्तरीय शिक्षा पाने का हक़ है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार नियम बना सकेगी। स्नातक और परास्नातक डिग्री देने के अधिकार को भी स्पष्ट करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुरूप ही चलाया जा सकता है। ■■

*(लेखक उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एवं विधिवेत्ता हैं)*

*साभार, जनसत्ता*



# सुधार की संभावनाओं का सदैव स्वागत हो

किसी भी राष्ट्र का विकास उसकी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है और यह साबित हो चुका है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और मानवीय उन्नति दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली साधन है। यह व्यक्तियों और समुदायों दोनों में उनकी जन्मजात क्षमताओं और प्रतिभाओं पर उनके जीवन को प्रभावित करने और इस तरह उनकी आंतरिक शक्ति को मज़बूत करने के लिए आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में सहायता करती है।

पूरे इतिहास में, सभ्यताओं ने उत्पीड़न से लोकतांत्रिक जुड़ाव और भागीदारी में संक्रमण के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। भारत में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी या तो मदरसों से या उर्दू माध्यम के स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर रही है।

**समाधान**



**संपादन प्रभाग**

मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ, शिक्षण संस्थान है। वे कभी भी केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं थे, लेकिन इस अवधारणा को बदल दिया गया और मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र बन गए हैं। आजकल हाशिए पर पड़े मुस्लिम समुदाय अपने मदरसों से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग कर रहे हैं।

मदरसे निःशुल्क शिक्षा के केंद्र हैं। वे मुसलमानों के सांस्कृतिक और शैक्षिक जीवन का केंद्र हैं। पारंपरिक शिक्षा के अमूल्य साधन के रूप में इन मदरसों ने मुस्लिम समाज में साक्षरता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुस्लिम समुदाय का केवल ग़रीब वर्ग ही अपने बच्चों को मदरसों में भेजने के लिए तैयार है, जहां उन्हें न केवल निःशुल्क शिक्षा मिलती है, निःशुल्क भोजन और आवास भी मिलता है।

सदियों से, मदरसों (इस्लामिक स्कूलों) ने भारत में मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

## सशक्तिकरण में मदरसा शिक्षा की भूमिका

धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण मदरसा शिक्षा भारतीय मुसलमानों के बीच इस्लामी पहचान को संरक्षित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। क़ुरआनिक अध्ययन, हदीस (पैग़म्बर की परंपराएं) और इस्लामी न्यायशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करके, मदरसे धार्मिक चेतना और समुदाय से जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं।

यह पहचान विशेष रूप से एक विविध समाज में रहने वाले मुसलमानों के लिए मूल्यवान है, जहां सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित करना सशक्त बना सकता है और आत्म-सम्मान की मज़बूत भावना में योगदान दे सकता है।

## बुनियादी शिक्षा तक पहुंच

ग्रामीण और शहरी भारत के कई हिस्सों में, मुसलमान सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों में से हैं। मदरसों द्वारा दी जाने वाली कम लागत या बिना लागत वाली शिक्षा अक्सर उन मुस्लिम परिवारों के लिए जीवन रेखा है जो मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा का ख़र्च नहीं उठा सकते। इस सुलभ शिक्षा के माध्यम से, मदरसे बच्चों को बुनियादी साक्षरता कौशल प्रदान करते हैं, जो आगे की शिक्षा और आत्म-सुधार की दिशा में एक क़दम के रूप में काम कर सकता है।

## सामुदायिक एकजुटता और सहायता

मदरसे सिर्फ़ शैक्षणिक संस्थानों से कहीं ज़्यादा काम करते हैं। वे सामुदायिक सहायता के केंद्र भी हैं, ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जहां मुसलमानों को सामाजिक-राजनीतिक हाशिए पर रखा जाता है। सीमित सरकारी संसाधनों वाले क्षेत्रों में, मदरसे न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं, कभी-कभी स्वास्थ्य सेवा, आवास और भोजन सहायता भी प्रदान करते हैं। सामुदायिक एकजुटता और कल्याण में यह भूमिका वंचित समुदायों में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मदरसों को ज़रूरी बनाती है।

## भविष्य के धार्मिक विद्वानों और नेताओं का विकास

मदरसे धार्मिक विद्वानों (उलेमा) को तैयार करते हैं, जिनका मुस्लिम समुदाय में बहुत सम्मान होता है। वे समुदाय के नेताओं के रूप में काम करते हैं। धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये समुदाय के निर्णय लेने में अभिन्न अंग होते हैं।

अक्सर सामाजिक संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। परिवारों का मार्गदर्शन करते हैं और सामुदायिक अधिकारों की वकालत करते हैं। इनके पोषण के माध्यम से, मदरसे मुस्लिम



**मदरसा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ, शिक्षण संस्थान हैं। वे कभी भी केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करने तक सीमित नहीं थे, लेकिन इस अवधारणा को बदल दिया गया और मदरसे केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र बन गए हैं। आजकल हाशिए पर पड़े मुस्लिम समुदाय अपने मदरसों से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग कर रहे हैं।**

समुदाय को उसके आंतरिक शासन और लचीलेपन को मज़बूत करके सशक्त बनाते हैं। सशक्तिकरण के साधन के रूप में मदरसा शिक्षा की क्षमता को पूरी तरह से समझने के लिए, मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लिए क़दम उठाए जाने चाहिए। साथ ही उनके धार्मिक लोकाचार का सम्मान भी किया जाना चाहिए।

### पाठ्यक्रम आधुनिकीकरण

धार्मिक शिक्षा के साथ गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक अध्ययन जैसे मुख्य विषयों को शामिल करने वाला एक संतुलित पाठ्यक्रम अधिक बहुमुखी और रोज़गार योग्य स्नातक



तैयार कर सकता है। सरकारी और ग़ैर-सरकारी संगठनों द्वारा कुछ मदरसों में अंग्रेज़ी और कंप्यूटर जैसे विषयों को शामिल करने की पहल की गई है, जिसके छात्रों के लिए सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

### सरकारी सहायता और वित्तपोषण

वित्तीय और तकनीकी दोनों तरह की सरकारी सहायता, मदरसों की उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल संसाधनों पर लक्षित योजनाएं शैक्षिक मानकों को बढ़ावा दे सकती हैं। छात्रों के भविष्य के लिए मदरसा शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बना सकती हैं।

### कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण

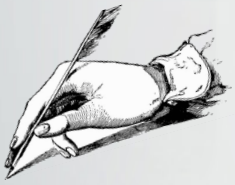
व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल-आधारित कार्यक्रमों की शुरुआत करने से मदरसा छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी, बढ़ईगीरी, सिलाई और अन्य क्षेत्रों में रोज़गार योग्य कौशल से लैस किया जा सकेगा। ऐसे कौशल उनकी नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाएंगे और समुदाय के भीतर आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे।

### मान्यता और मुख्यधारा का एकीकरण

व्यापक शैक्षिक ढांचे के भीतर मदरसा शिक्षा को मान्यता देने वाली नीतियों का विकास छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और कुशल व्यवसायों में सहज संक्रमण की सुविधा प्रदान कर सकता है। मदरसों और मुख्यधारा के स्कूलों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करने से छात्रों के लिए आगे के शैक्षिक अवसरों तक पहुंचने के रास्ते खुल सकते हैं।

मदरसा शिक्षा सुलभ शिक्षा प्रदान करके, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करके और सामुदायिक एकता का समर्थन करके भारत में मुसलमानों को सशक्त बनाने में एक अपरिहार्य भूमिका निभाती है। हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने, सरकारी सहायता बढ़ाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण को एकीकृत करने वाले सुधार मुस्लिम समुदाय के भीतर सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मदरसों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। विकसित हो रहे शैक्षिक परिदृश्य के अनुकूल होने से, मदरसे भारत भर के मुसलमानों के लिए शिक्षा, मार्गदर्शन और सामाजिक-आर्थिक उत्थान का एक सार्थक स्रोत बने रह सकते हैं।

■■



दुष्यंत कुमार

कविता

# तुम्हारे पांवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं

तुम्हारे पांवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं,
कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यक़ीन नहीं।

मैं बेपनाह अंधेरों को सुब्ह कैसे कहूं,
मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं।

तिरी ज़बान है झूटी जम्हूरियत की तरह,
तू इक ज़लील-सी गाली से बेहतरीन नहीं।

तुम्हीं से प्यार जताएं तुम्हीं को खा जाएं,
अदीब यूं तो सियासी हैं पर कमीन नहीं।

तुझे क़सम है ख़ुदी को बहुत हलाक न कर,
तू इस मशीन का पुर्ज़ा है तू मशीन नहीं।

बहुत मशहूर है आएं ज़रूर आप यहां,
ये मुल्क देखने लाएक़ तो है हसीन नहीं।

ज़रा-सा तौर-तरीक़ों में हेर-फेर करो,
तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं।

मंथन

जितेंद्र गौतम



# अनावश्यक हस्तक्षेप के ख़तरे

भारत में वैवाहिक-दुष्कर्म (मैरिटल रेप) के मुद्दे पर जारी बहस ने कई जटिल वैधानिक सवालों को जन्म दे दिया है। महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए क़ानूनों का दुरुपयोग करके इस बहस को बहुत आगे तक बढ़ा दिया है। क़ानूनी ब्लैकमेलिंग और झूठे मामलों के कारण, मैरिटल रेप जैसे क़ानूनों पर बहस को बल मिला है।

भारत में दुष्कर्म के अपराध को परिभाषित करने वाली आईपीसी की धारा-375 में (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा-63) निहित अपवाद कहता है कि 'अपनी पत्नी के साथ पुरुष द्वारा किया जाने वाला संभोग पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने की दशा में दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।' इसी अपवाद को आरआईटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमेन एसोसिएशन और दो व्यक्तियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दूसरी ओर दिल्ली सरकार, हृदय फाउंडेशन नामक ग़ैर-सरकारी संस्था और मेन वेलफेयर ट्रस्ट के अमित लखानी तथा ऋत्विक बिसारिया इस अपवाद को ख़त्म करने का विरोध कर रहे हैं।

**फेमिनिस्टों का मानना है कि अगर क़ानून जेंडर-न्यूट्रल बनाए गए तो पुरुष इसका दुरुपयोग करेंगे। वहीं पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्टों का मानना है कि अगर क़ानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए तो महिलाएं इसका दुरुपयोग करेंगी।**

फेमिनिस्टों का मानना है कि अगर क़ानून जेंडर-न्यूट्रल बनाए गए तो पुरुष इसका दुरुपयोग करेंगे। वहीं पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्टों का मानना है कि अगर क़ानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए तो महिलाएं इसका दुरुपयोग करेंगी। इस क़ानून को लेकर दोनों के अपने-अपने तर्क और आशंकाएं हैं, लेकिन जो क़ानून इतनी बड़ी आबादी वाले देश में हर शादी और हर परिवार को प्रभावित करने वाला हो, उसे सिर्फ़ एक पक्ष के अधिकारों के मद्देनज़र नहीं देखा जा सकता।

पतियों द्वारा पत्नियों का मानसिक और शारीरिक या यौन शोषण किए जाने पर उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी न हो कि महिलाएं क़ानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं और इसके लिए उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती।

एक दौर था जब भारतीय दंड संहिता की धारा-498ए (अब भारतीय

न्याय सहिंता की धारा-85) का दुरुपयोग चरम पर था और कहा जाने लगा था कि यह क़ानून महिलाओं के हाथों में दिया गया वह हथियार है, जिसे वह पति और उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अचंभे की बात यह थी कि जहां सुप्रीम कोर्ट इस क़ानून के दुरुपयोग को क़ानूनी आतंकवाद की संज्ञा दे चुका था, वहीं नारीवादी यह मानने को तैयार नहीं थे कि कोई स्त्री क़ानून का दुरुपयोग कर सकती है। अंततः 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की और 498ए में तुरंत गिरफ़्तारी पर रोक लगाई। इसके बाद पारिवारिक विवादों में छेड़खानी, दुष्कर्म, अप्राकृतिक सेक्स जैसे आरोपों का इस्तेमाल किया जाने लगा।

जेठ, देवर, ससुर, मामा, चाचा, ननद के पति आदि पर यौन शोषण का आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवाया जाने लगा, ताकि भारी रक़म वसूल की जा सके। किसी भी कोर्ट परिसर के



मध्यस्थता केंद्र में जाकर देखें, आपको इन मुक़दमों में सौदेबाज़ी होती मिल जाएगी। जितनी संगीन धाराएं, उतनी बड़ी मांग। पति और उसका परिवार धक्के खाकर और जेल में सड़कर इतना हार जाता है कि कोई भी मांग मान लेता है। एक आम इंसान को 15-20 लाख की पूंजी जमा करने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत मामले हैं, जहां कुछ दिनों या महीनों चली शादी में भी महिला लाखों रुपये झूठे मुक़दमे के एवज में ले गई।

महिलाओं के पास बहुत से ऐसे क़ानून हैं, जिनके तहत वे पति और उसके परिवार के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकती हैं। ऐसे में क्या वैवाहिक दुष्कर्म का क़ानून लाना ज़रूरी है? हाल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी ऐसे क़ानून के विरोध में मत व्यक्त किया। प्रश्न है कि क्या भारत की आम महिलाएं पति को दुष्कर्मी कहने का अधिकार मांग रही हैं या फिर यह कुछ चुनिंदा नारीवादियों की मांग है?

वैवाहिक दुष्कर्म जैसे क़ानून के संदर्भ में कुछ अहम सवाल हैं–अगर महिला कह दे कि दो साल पहले पति ने दुष्कर्म किया था तो वह यह कैसे साबित कर पाएगा कि उसने ऐसा नहीं किया था? अगर वैवाहिक दुष्कर्म के नाम से एक नया क़ानून बना दिया जाता है तो कोई निर्दोष पुरुष यह कैसे साबित करेगा कि उस पर पांच साल पहले दुष्कर्म का झूठा आरोप अब लगा रही उसकी पत्नी




झूठ बोल रही है? भारत में पति या पत्नी द्वारा बिना किसी कारण शारीरिक संबंध न बनाना क्रूरता और तलाक का आधार माना जाता है। यदि पति इसी आधार पर तलाक़ मांगता है और इसके बाद पत्नी दुष्कर्म का आरोप लगा देती है तो कोर्ट किसकी मानेगा? क्या केवल महिला का कथन पति को जेल भेजने के लिए पर्याप्त होगा? वैवाहिक दुष्कर्म के मामलों में वह अपराध हुआ भी था या नहीं, यह पता लगाने के लिए पुलिस क्या प्रारंभिक जांच करेगी?

अगर महिला मुक़दमा करने के



बाद उसे वापस लेने के लिए लाखों या करोड़ों रुपये की मांग करे तो क्या न्यायालय ऐसे मुक़दमों को सेटलमेंट के नाम पर ख़त्म करेंगे, जैसा 498-ए में होता है? अगर हां तो क्या यह उगाही का एक और ज़रिया नहीं बन जाएगा? क्या महिला को झूठा मुक़दमा करने की कोई सज़ा मिलेगी? 498ए के झूठे मुक़दमों में तो शायद ही किसी महिला को सज़ा मिलती हो।

भारत में पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों को दुष्कर्म के दायरे में लाए जाने पर सबसे ज़्यादा जताई जा रही चिंताओं में से एक यह है कि दुर्भावना रखने वाली पत्नियों द्वारा अपने पतियों और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। हालांकि यह एक जायज़ चिंता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं और यहां तक कि खंडपीठ ने भी इसे यह कहते हुए दबाने की कोशिश की है कि 'हर क़ानून का दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह क़ानून नहीं लाने का आधार नहीं हो सकता।'

यह तर्क देखने में तो जायज़ लगता है, लेकिन अगर हम वास्तव में प्रत्येक नागरिक के समान अधिकारों के बारे में चिंतित हैं तो एक नया क़ानून लाते समय ज़मीनी हक़ीक़त को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने वैवाहिक दुष्कर्म को क़ानूनी तौर पर अपराध घोषित करवाने के लिए मिसाल के तौर पर विभिन्न देशों के क़ानूनों को सामने रखा है, लेकिन उन राष्ट्रों में झूठी गवाही देने, झूठे आरोप लगाने और ग़लत तरीक़े से क़ैद करवाने के विरुद्ध लागू मज़बूत सुरक्षा उपायों का ज़िक्र तक नहीं किया है।

अगर हम महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसे जघन्य और कुत्सित झूठे आरोपों से पुरुषों की गरिमा की रक्षा करने की

**पतियों द्वारा पत्नियों का मानसिक और शारीरिक या यौन शोषण किए जाने पर उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो क़ानून इतनी बड़ी आबादी वाले देश में हर शादी और हर परिवार को प्रभावित करने वाला हो, उसे सिर्फ़ एक पक्ष के अधिकारों के मद्देनज़र नहीं देखा जा सकता।**

भी बात करनी होगी। संविधान लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। समय आ गया है कि हमारे राजनेता और न्यायपालिका भी ऐसा न करें। पुरुषों को ग़लत तरीक़े से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए या पर्याप्त सबूतों के बिना किसी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। ये सच है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज़्यादा पीड़ित हैं, लेकिन यह न भूलें कि यौन-हिंसा पहले ही घरेलू-हिंसा के अंतर्गत आती है।

याद रखें, पुरुष और महिला एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। महिलाओं और पुरुषों, दोनों की लड़ाई उस मानसिकता से है, जो महिला-पुरुष दोनों के साथ अन्याय करती है। हमें अन्याय के लिए लड़ना चाहिए। किसी भी क़ानून को सिर्फ़ एक पक्ष के अधिकारों के मद्देनज़र बनाने के बजाय ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिससे किसी के भी अधिकारों का हनन न हो। ■■



# सांस का संकट और सुलगते सवाल

पर्यावरण



डॉ. प्रदीप कुमार

**वायु प्रदूषण से जुड़े आंकड़े हमें बार-बार सतर्क करने के साथ डराते भी हैं। यह डराने वाला ही आंकड़ा है कि भारत में हर साल वायु प्रदूषण से 20 लाख मौतें होती हैं। देश में हो ने वाली मौतों का यह पांचवां बड़ा कारण है। दिल्ली-एनसी आर के वायु प्रदूषण में पराली और पटाखों की ही तरह वाहनों एवं भवन-निर्माण से जुड़ा प्रदूषण भी ख़तरनाक होता है।**

वैसे तो दिल्ली और आसपास के इलाक़ों की हवा साल भर ही सांस के लिए ख़तरनाक होती है, लेकिन सर्दियां शुरू होने के बाद पराली जलाने से प्रति वर्ष दिल्ली और आसपास प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच जाता है। नागरिकों का दम घुटने लगता है। अस्पतालों में उपचार कराने तक की नौबत आ जाती है। आसमान पर धुएं की परत जमने लगती है।

हाल में ही सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के साथ पंजाब और हरियाणा को याद दिलाया है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। बड़ा सवाल है कि नागरिकों का स्वास्थ्य ख़तरे में होने के बावजूद पर्यावरण क़ानून का पालन करने से सरकारों को कौन रोक रहा है?

दिल्ली से सटे राज्यों की सरकारें और स्थानीय ज़िला प्रशासन पर्यावरण संरक्षण क़ानून को सख़्ती से लागू करते, तो यह नौबत नहीं आती। हैरानी की बात है कि शीर्ष न्यायालय की फटकार और बार-बार चिंता जताए जाने पर भी गंभीरता से व्यापक कार्रवाई न होना, यह साबित करता है कि सरकारें नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं हैं।

वायु प्रदूषण के ये हालात इसलिए हैं क्योंकि इससे निपटने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया गया। जब कुछ क़दम उठाए भी जाते हैं तो देर हो चुकी होती है और ये क़दम बहुत थोड़े भी होते हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदूषण के कारण पर्यावरण की क्षति, मृदा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव के साथ मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।

वायु प्रदूषण से पीड़ित लोग और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पराली जलाने पर प्रभावी कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन हर बार ख़राब वायु गुणवत्ता व्यवस्था की नाकामी को जगज़ाहिर कर देती है। अदालत के आदेशों की अवहेलना कैसे, कितनी और क्यों हो रही है? प्रदूषण रोकने में कहां ज़्यादा



मुश्किल आ रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। केवल जुर्माने और प्रतिबंधों द्वारा इसको रोकने की कोशिश की जाएगी तो यह नाकाफ़ी होगा। सरकार को पराली दहन से इतर इसको नष्ट करने के अन्य विकल्पों पर काम करना होगा। इसके साथ ही किसानों को भी व्यावहारिकता को समझना होगा और समय के साथ बदलाव के लिए तैयार होना होगा।

पराली दहन, मृदा की उर्वरता को ख़तरा पहुंचाने के साथ मानव जीवन के लिए भी ख़तरनाक है। आज पर्यावरण का संकट जीवन का संकट बनने लगा है और ज़हरीली होती हवा सांसों पर भारी पड़ने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई बद से बदतर

**हर बार ख़राब वायु गुणवत्ता व्यवस्था की नाकामी को जगज़ाहिर कर देती है। अदालत के आदेशों की अवहेलना कैसे, कितनी और क्यों हो रही है? प्रदूषण रोकने में कहां ज़्यादा मुश्किल आ रही है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। केवल जुर्माने और प्रतिबंधों द्वारा इसको रोकने की कोशिश की जाएगी तो यह नाकाफी होगा। सरकार को पराली दहन से इतर इसको नष्ट करने के अन्य विकल्पों पर काम करना होगा। इसके साथ ही किसानों को भी व्यावहारिकता को समझना होगा और समय के साथ बदलाव के लिए तैयार होना होगा।**

**कान्ति साप्ताहिक और कान्ति मासिक के सभी पाठक**

**कृपया ध्यान दें!**

अपना पूरा नाम : .....

पता : .....

पोस्ट ऑफिस : .....

डिस्ट्रिक्ट : .....स्टेट : .....पिन : .....

कांटेक्ट नंबर : .....

*नीचे दिए गए व्हाट्सऐप नम्बर पर भेजने की मेहरबानी करें।*

*धन्यवाद!*

**व्हाट्सऐप नंबर : 98187 99223**

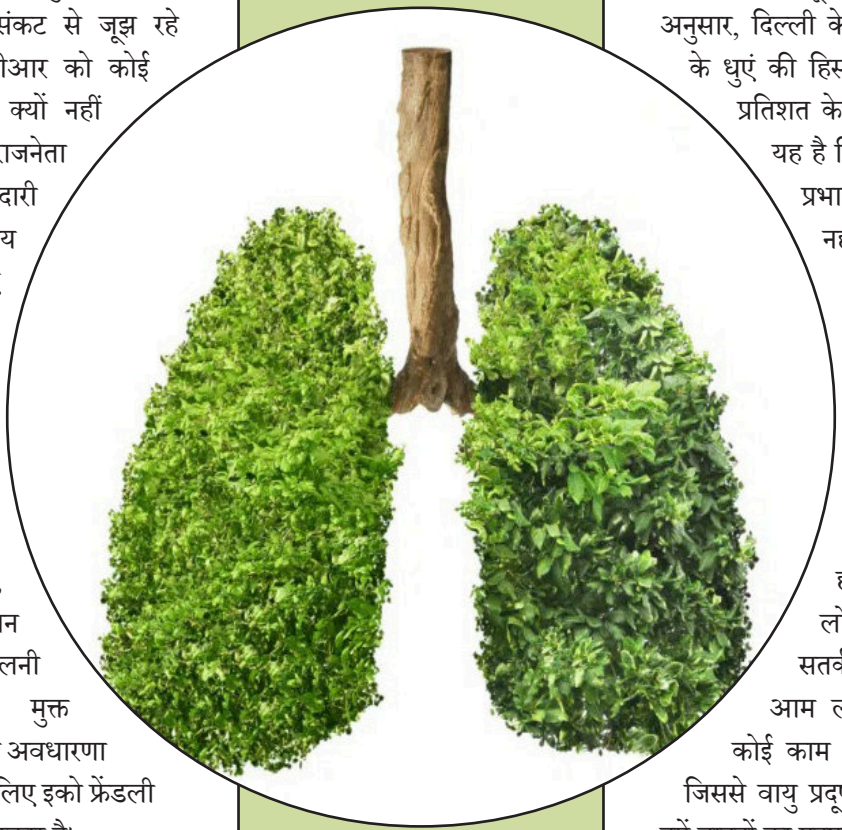
**नोट : अपना कांटेक्ट नंबर लिखना न भूलें।**

की श्रेणी में पहुंच चुका है। बढ़ते वायु प्रदूषण से जनता की सांसों पर गहराते संकट के समाधान के लिए सरकार के पास विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के अलावा कोई योजना नज़र नहीं आती। वायु प्रदूषण से निपटने के सरकारी प्रयासों के दावों के बावजूद वांछित परिणाम नज़र नहीं आते। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बना आयोग भी ज़िम्मेदारी के निर्वाह में नाकाम नज़र आता है।

प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूझ रहे दिल्ली और एनसीआर को कोई समाधान की राह क्यों नहीं मिल रही? हमारे राजनेता एक-दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालने की बजाय समाधान के लिए तत्पर क्यों नहीं होते? आम आदमी की सेहत ही नहीं, जीवन से भी जुड़े इस जानलेवा मुद्दे पर राजनीति नहीं, बल्कि ठोस समाधान की राह निकलनी चाहिए। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण की वैश्विक अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए इको फ्रेंडली माहौल बनाने की दरकार है।

वायु प्रदूषण से जुड़े आंकड़े "हमें बार-बार सतर्क करने के साथ डराते भी हैं। यह डराने वाला ही आंकड़ा है कि भारत में हर साल वायु प्रदूषण से 20 लाख मौतें होती हैं। देश में होने वाली मौतों का यह पांचवां बड़ा कारण है। दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण में पराली और पटाखों की ही तरह वाहनों एवं भवन-निर्माण से जुड़ा प्रदूषण भी ख़तरनाक होता है।

**वायु प्रदूषण के ये हालात इसलिए हैं क्योंकि इससे निपटने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया गया। जब कुछ क़दम उठाए भी जाते हैं तो देर हो चुकी होती है और ये क़दम बहुत थोड़े भी होते हैं। यह बताने की**



**आवश्यकता नहीं है कि प्रदूषण के कारण पर्यावरण की क्षति, मृदा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव के साथ मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।**

भू-विज्ञान मंत्रालय की एक रिसर्च के अनुसार, वायु निर्माण में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों की रहती है। दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक़ पिछले 30 वर्षों में वाहन और उनसे होने वाला प्रदूषण तीन गुणा बढ़ गया है। फिर भी सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को बेहतर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में कुछ ख़ास नहीं किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत के आसपास है। सच यह है कि इसके लिए कोई प्रभावी कोशिश हो ही नहीं रही है।

वैसे प्रदूषण कम करने और महानगरों को रहने लायक़ बनाने की ज़िम्मेदारी केवल सरकारों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। लोगों को ख़ुद भी पूरी सतर्कता बरतनी होगी। आम लोगों को भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण को बल मिले। हमें वाहनों का प्रदूषण लेवल चेक करते रहना चाहिए। कोशिश करें कि हम निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। आम लोगों, किसानों और प्रशासन के साझा प्रयासों से ही आमजन को इस समस्या से निजात मिल पाएगी। वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ हवा के लिए पूरे साल प्रयासरत रहना ज़रूरी है। ■■

# एक ईश्वर, एक मानव, एक विधान



यह निर्विवाद तथा सर्वमान्य सत्य है कि ईश्वर एक है और वही समूचे विश्व का कर्ता है। उसी ने मानव को भी जन्म दिया है, अतः अपनी सृष्टि में मानव-मानव समान है। परंतु मानव स्वयं मानवता का विरोधी बन गया। उसने धर्म और विधान के नाम पर मानवता का विभाजन करके उसे अनेक श्रेणियों तथा वर्गों में विभक्त कर दिया। पहले उसे देश और जाति के नाम पर बांटा, अपने देश को पवित्र ठहराया और अन्य देशों को अपवित्र, अपनी जाति को सभ्य, सुसंस्कृत तथा श्रेष्ठ ठहराया और संसार की अन्य जातियों को असभ्य, दस्यु तथा म्लेक्ष। इतने पर भी संतुष्ट न हुआ, उसने जो विभाजन अपनी जाति तथा दूसरी जातियों के बीच किया था वही स्वयं अपनी जाति के बीच किया।

मुट्ठी-भर एक छोटा वर्ग विद्या तथा धर्म का स्वामी बन गया, दूसरा छोटा-सा वर्ग शक्ति तथा शासन का, तीसरा छोटा-सा वर्ग जीवन साधन सामग्रियों का अधिकारी बन गया। समाज के शेष बड़े भाग को अपना दास तथा सेवक बना लिया। मानवजाति की यह दुर्दशा यहीं तक सीमित न रही। एक वर्ग को

**नज़रिया**



**इमामुद्दीन रामनगरी**

अछूत बनाकर उसे कुत्ते और सूअर के स्तर से नीचे गिरा दिया। कुत्ते बस्ती तथा नगर में स्वतंत्रतापूर्वक चल-फिर सकते थे, परंतु अछूतों पर विभिन्न प्रकार के बंधन थे। कुत्तों के स्पर्श से कोई अपवित्र न होता था, परंतु मनुष्य अछूत था। इससे छू जाने तथा उस पर दृष्टि पड़ जाने पर स्नान किए बिना मनुष्य पवित्र नहीं हो सकता था। उसका शरीर ही अपवित्र न था, उसकी छाया तक अपवित्र थी।

यह भेदभाव केवल सामाजिक नियम, खान-पान तथा विवाह-संस्कार तक सीमित न था। धर्म भी इसी भेदभाव के अंतर्गत था। यह अछूत वर्ग न धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकता था, न उसके अनुसार पूजा-उपासना कर सकता था, न धार्मिक स्थलों पर जा सकता था। वह केवल ईश्वर का नाम जप सकता था। उसकी शुद्धि, सुधार और उसको ऊपर उठाने का धर्म में कोई विधान ही न था।

मानवता की यह दुर्दशा किसी एक देश में न थी, बल्कि बहुत भेद के साथ संसार के सभी देशों तथा जातियों की परंपरा थी। इसके प्रमाण के लिए इतिहास के पन्ने को उलटने की आवश्यकता नहीं। अमेरिका जैसे सभ्य तथा विकसित देश में अब तक काले-

गोरे का भेदभाव बना हुआ है। वहां की सरकार इस भेदभाव को समाप्त करना चाहती है, परंतु अब तक उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है।

हमारा देश भारत संसार का प्राचीनतम धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र है, परंतु यह महान देश भी इस जातीय भेदभाव के मामले में संसार के अन्य देशों से पृथक न था। वर्तमान विधान में छूतछात नियम विरुद्ध है, परंतु व्यावहारिक रूप से भेदभाव तथा छुतछात अब भी मौजूद है। यूरोप बड़ा उदारवादी माना जाता है। अंग्रेज़ जो भारत में शासन करते थे छूतछात नहीं मानते थे, परंतु उनके यहां भी दो प्रकार के गिरजाघर हैं–एक उच्च वर्ग के लिए, दूसरे निम्न वर्ग के लिए।

अरब देश की जातीय दंभ की यह स्थिति थी कि वे संसार की किसी जाति को अपना समकक्ष नहीं समझते थे। क़ुरैश क़बीला, जिसमें महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का जन्म हुआ था, अपनी श्रेष्ठता के लिए सारे अरब में बढ़ा हुआ था। वहां प्राचीन समय से दासता की प्रथा भी प्रचलित थी और उसने ऐसा कुत्सित रूप धारण कर लिया जिसकी कल्पना भी कठिन है। पशुओं के समान दासों और दासियों की मंडी लगती थी। एक बार मोल लिया हुआ दास मृत्यु तक दासता और हीनता की जंज़ीरों में जकड़ा हुआ रहता था। उसके बाद उसकी संतान आपसे आप ही उसकी संपत्ति बन जाती थी। लोग दासी से व्यभिचार का व्यवसाय चलाते थे।

ऐसे दूषित वातावरण में इस्लाम का आविर्भाव हुआ। इस्लाम ने सर्वप्रथम समस्त मिथ्या काल्पनिक देवी-देवताओं का साम्राज्य समाप्त कर मनुष्य को केवल एक निराकार ईश्वर की उपासना का पाठ पढ़ाया। मनुष्यों के

**हमारा देश भारत संसार का प्राचीनतम धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र है, परंतु यह महान देश भी इस जातीय भेदभाव के मामले में संसार के अन्य देशों से पृथक न था। वर्तमान विधान में छूतछात नियम विरुद्ध है, परंतु व्यावहारिक रूप से भेदभाव तथा छुतछात अब भी मौजूद है। यूरोप बड़ा उदारवादी माना जाता है। अंग्रेज़ जो भारत में शासन करते थे छूतछात नहीं मानते थे, परंतु उनके यहां भी दो प्रकार के गिरजाघर हैं–एक उच्च वर्ग के लिए, दूसरे निम्न वर्ग के लिए।**

बीच हर प्रकार के भेदभाव की दीवारों को डाह कर 'समस्त मानव एक समान हैं' की उद्घोषणा की। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जैसे ब्रह्माण्ड का स्रष्टा और स्वामी एक है, उसी प्रकार उसके बनाए हुए समस्त मनुष्य भी एक हैं। रंग, नस्ल, गोत्र, जाति और देश के आधार पर उनको बांटा नहीं जा सकता। किसी को ऊंच और किसी को नीच नहीं ठहराया जा सकता। हां, उनमें कोई विभाजन हो सकता है तो सत्कर्म और दुष्कर्म, पुण्य और पाप, सदाचार और दुराचार के आधार पर हो सकता है। अच्छे कर्म करने वाला चाहे किसी रंग और वंश का हो, किसी देश और जाति का हो श्रेष्ठ और उत्तम है, और बुरा कर्म करने वाला चाहे किसी रंग और वंश, देश और जाति का हो निकृष्ट तथा तुच्छ है, जैसा कि पवित्र क़ुरआन में है–

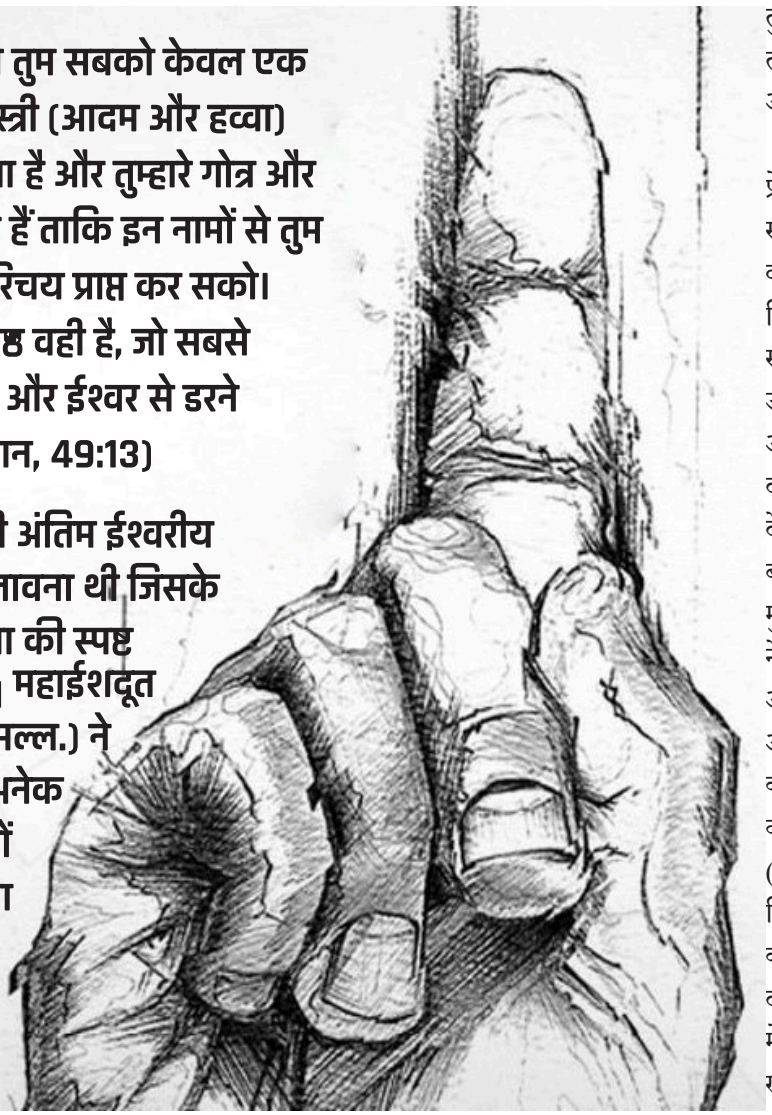
"ऐ मनुष्यो। हमने तुम सबको केवल एक मनुष्य और एक स्त्री (आदम और हव्वा) द्वारा उत्पन्न किया है और तुम्हारे गोत्र और परिवार बना दिये हैं ताकि इन नामों से तुम एक-दूसरे का परिचय प्राप्त कर सको। निस्संदेह तुममें श्रेष्ठ वही है, जो सबसे अधिक सदाचारी और ईश्वर से डरने वाला है।" (क़ुरआन, 49:13)

यह क़ुरआन रूपी अंतिम ईश्वरीय संविधान की प्रस्तावना थी जिसके द्वारा मानव एकता की स्पष्ट घोषणा की गयी। महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर इसी प्रस्तावना की पुष्टि अपनी ओजस्वी वाणी में की। मक्का विजय इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। उस दिन महाईशदूत ने स्वयं अपनी जाति क़ुरैश को जो जातीय दंभ के नशे में चूर थी, संबोधित करते हुए अपने विजय-भाषण में कहा–

"ऐ क़ुरैश गोत्र! अब ईश्वर ने इस्लाम

**"ऐ मनुष्यो। हमने तुम सबको केवल एक मनुष्य और एक स्त्री (आदम और हव्वा) द्वारा उत्पन्न किया है और तुम्हारे गोत्र और परिवार बना दिये हैं ताकि इन नामों से तुम एक-दूसरे का परिचय प्राप्त कर सको। निस्संदेह तुममें श्रेष्ठ वही है, जो सबसे अधिक सदाचारी और ईश्वर से डरने वाला है।" (क़ुरआन, 49:13)**

**यह क़ुरआन रूपी अंतिम ईश्वरीय संविधान की प्रस्तावना थी जिसके द्वारा मानव एकता की स्पष्ट घोषणा की गयी। महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर इसी प्रस्तावना की पुष्टि अपनी ओजस्वी वाणी में की।**



के पूर्व का अज्ञानपूर्ण दंभ तथा वंशीय गर्व समाप्त कर दिया। समस्त मनुष्य आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से बने थे।" इसके दो वर्ष बाद हज्जतुल विदा (महाईशदूत का अंतिम हज) का ऐतिहासिक अवसर आया। महाईशदूत ने अपने एक लाख अनुयायियों के बीच एक विस्तृत भाषण दिया, जिसमें और बातों के अतिरिक्त अन्य देशों के निवासियों पर अरब देश के निवासियों के जातीय घमंड की समाप्ति की घोषणा कर दी। आप (सल्ल.) ने फ़रमाया–

"ऐ लोगो! तुम्हारा पालनकर्ता एक है और तुम्हारा पूर्वज भी एक है, तुम सब आदम की संतान हो और आदम मिट्टी से बने थे, अल्लाह ने इस्लाम से पूर्व के अज्ञानपूर्ण घमंड और जातीय गर्व को मिटा दिया। संयमी, धर्माचारी या दुराचारी एवं भाग्यहीन, सब लोग आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से बने थे।"

इसी अवसर पर महाईशदूत ने यह भी फ़रमाया–"यदि तुम्हारे ऊपर किसी कान कटे काले दास को भी अधिकारी (शासक) नियुक्त कर दिया जाए जो ईश्वरीय ग्रंथ (क़ुरआन) के अनुसार तुम्हारा नेतृत्व करे तो तुम उसका आज्ञापालन करो।"

दासों के साथ प्रेम, समता और सहानुभूति का व्यवहार करने के विषय में महाईशदूत सदा मुसलमानों को उपदेश करते रहे। आप (सल्ल.) ने दासों को मुक्त कर देने को पुण्य कर्म बताया। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने अनुयायियों को जो उपदेश दिया वह यह है–"नमाज़ (ईश्वरोपासना) का नियमानुसार पालन करना और अपने दासों के विषय में ईश्वर से डरते रहना।"

यह शिक्षा केवल मौखिक न थी, न केवल विधान-ग्रंथों के पृष्ठों की शोभा बनकर रह गयी थी। आने वाले समय में इस्लामी शासकों एवं समाज ने इन उपदेशों और सिद्धांतों को व्यवहार में साकार करके भी दिखाया। इस्लाम ने ग़रीबों और दासों में भी स्वाभिमान की आत्मा फूंक दी थी। यह था सच्चा न्याय, यह थी सच्ची समानता एवं आदर्श मानवता, जिससे मानवता का राज मार्ग प्रशस्त होता है, सच्ची इन्सानियत उत्पन्न होती है और मानव जीवन स्वर्गमय बन जाता है।

■■

# सत्य का कोई विकल्प नहीं



प्रकाश स्तंभ



वहीदुद्दीन ख़ां

एक बिन्दु से दूसरे बिंदु तक सीधी रेखा मात्र एक ही होती है इसी प्रकार व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचाने वाला सीधा मार्ग भी कोई एक ही हो सकता है। इसी मार्ग का नाम सच्चाई है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सत्य क्या है तथा उस सत्य की खोज किस प्रकार की जाए।

हमारा सौभाग्य है कि सत्य जिस प्रकार एक है उसी प्रकार वह मैदान भी मात्र एक है। यहां कई विकल्प नहीं हैं, जिनके मध्य चुनाव का प्रश्न उत्पन्न हो, यहां तो मात्र एक ही बात है, जिसको स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सत्य की खोज में एकाग्रचित हो तो वह पाएगा कि ईश्वर ने उसको चुनाव की दुविधा में नहीं डाला है, बल्कि ईश्वर ने हमको एक ऐसे संसार में रखा है जहां चुनाव सत्य और असत्य के मध्य है न कि सत्य और सत्य के मध्य।

दर्शनशास्त्र सत्य की खोज में कम से कम पांच हज़ार वर्षों से प्रयत्नशील है, परन्तु उसकी लम्बी खोज ने उसको मात्र इस स्थान तक पहुंचाया है, कि वह स्वयं स्वीकार कर रहा है, कि वह अन्तिम सत्य तक पहुंचने में अयोग्य तथा अक्षम सिद्ध हुआ है और न ही कभी पहुंच सकता है। दर्शन शास्त्र की विधि यह है, कि वह बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न करता है, परन्तु विवेक अपने ज्ञान की सीमा तक चिन्तन करता है और सत्य का मामला एक ऐसा मामला है जिसके विषय में कोई वास्तविक विचार प्रस्तुत करने के लिये पूरी सृष्टि का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी दार्शनिक को आज तक सृष्टि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसीलिए वह सत्य के सम्बंध में कोई अन्तिम विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता।

**दर्शन शास्त्र की विधि यह है, कि वह बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का प्रयत्न करता है, परन्तु विवेक अपने ज्ञान की सीमा तक चिन्तन करता है और सत्य का मामला एक ऐसा मामला है जिसके विषय में कोई वास्तविक विचार प्रस्तुत करने के लिये पूरी सृष्टि का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी दार्शनिक को आज तक सृष्टि का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ इसीलिए वह सत्य के सम्बंध में कोई अन्तिम विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता।**

विज्ञान ने इस सम्बंध में अपने को इस क्षेत्र से अलग कर रखा है। विज्ञान की खोज उन विषयों तक सीमित है जहां पुनरावृत्ति के अनुभव के द्वारा



निष्कर्ष तक पहुंचना संभव हो। विज्ञान पुष्प के रासायनिक तत्व को चिन्तन का विषय बनाता है। परन्तु वह पुष्प की सुगंध को अपनी बहस से निष्कासित कर देता है, क्योंकि पुष्प के रासायनिक तत्व तौले और नापे जा सकते हैं, परन्तु पुष्प की सुगंध को तौलने और नापने का कोई मापक यन्त्र विज्ञान के पास उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार विज्ञान ने अपने चिन्तन परिधि को स्वयं ही सीमित कर लिया है। अतः विज्ञान ने पहले से ही स्वीकार कर लिया है कि वह सांसारिक तथ्य के मात्र आंशिक पहलू से ही बहस करता है। वह पूर्ण एवं अन्तिम सत्य के सम्बंध में कोई अकाट्य विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है।

अध्यात्मिक व्यक्तियों का यह दावा है या उनके अनुयायी यह विश्वास रखते हैं कि वह सत्य से पूर्ण अवगत हैं और सत्य का अन्तिम ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु इस विश्वास का कोई आधार नहीं है। अध्यात्मिक व्यक्ति अपने दावे के अनुसार जिस साधन

**विज्ञान ने इस सम्बंध में अपने को इस क्षेत्र से अलग कर रखा हैं। विज्ञान की खोज उन विषयों तक सीमित है जहां पुनरावृत्ति के अनुभव के द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचना संभव हो। इस प्रकार विज्ञान ने अपने चिन्तन परिधि को स्वयं ही सीमित कर लिया हैं। अतः विज्ञान ने पहले से ही स्वीकार कर लिया हैं कि वह सांसारिक तथ्य के मात्र आंशिक पहलू से ही बहस करता हैं। वह पूर्ण एवं अन्तिम सत्य के सम्बंध में कोई अकाट्य विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं।**

के द्वारा सत्य से अवगत होते हैं, वह अध्यात्मिक अभ्यास है परन्तु नाम मात्र के अध्यात्मिक अभ्यास वास्तव में शारीरिक अभ्यास हैं और शारीरिक अभ्यास के द्वारा अध्यात्मिक खोज स्वयं एक निरर्थक कार्य है। दूसरा यह कि कोई भी अध्यात्मिक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में उन सीमाओं से परे नहीं है, जिन सीमाओं के शिकार उस जैसे दूसरे सभी व्यक्ति हैं। व्यक्ति अपनी जिन सीमाओं के कारण सत्य से अवगत नहीं हो सकता, वही सीमाएं स्वयं अध्यात्मिक लोगों के मार्ग में भी बाधक हैं। किसी भी प्रकार का अभ्यास व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक सीमाओं से मुक्त नहीं कर सकता। अतः अभ्यास उसको पूर्ण तथा अन्तिम सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद इस मैदान में मात्र ईशदूत (पैग़म्बर) शेष बचते हैं।

ईशदूत वह पूर्ण व्यक्ति होता है, जो यह कहता है कि ईश्वर ने उसको चुना है, और उस पर सत्य का ज्ञान उतारा है, ताकि वह उस सत्य को समस्त

मानव जाति तक पहुंचा दे। अपनी प्रकृति की सीमा तक मात्र यही एक दावा विश्वसनीय है, क्योंकि सत्य का वास्तविक ज्ञान केवल ईश्वर को ही हो सकता है, जो अनादि और अनंत है और समस्त वास्तविकताओं से पूर्ण रूप से अवगत है।

ईश्वर का ईश्वर होना यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि वह सत्य का पूर्ण ज्ञान रखता है, इसलिये जो व्यक्ति यह कहे कि उस को प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की ओर से सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसका दावा वास्तव में इस योग्य है कि इस सम्बंध में उसको मान्यता दी जाए। यहां एक प्रश्न और उठता है कि इस संसार में अनेक ईशदूतों का आगमन हुआ है तथा उनके धार्मिक ग्रंथों की संख्या भी अनेक हैं। फिर किस ईशदूत को स्वीकार किया जाए।

यदि व्यक्ति सत्य की खोज में गंभीर हो जाए तो उसको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। निःसन्देह अतीत में अनेक ईशदूत भेजे गए परन्तु मानव के पास अतीत की किसी भी घटना को मानने के लिए ठोस मापदंड यह है कि उसका ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हो।

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के सम्बंध में प्रत्येक बात का पूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। वर्तमान युग के किसी भी व्यक्ति के विषय में हम जितना जानते हैं उससे भी अधिक हम मुहम्मद (सल्ल.) के विषय में जानते हैं। आपका सम्पूर्ण जीवन परिचय इतिहास के पन्नों में अंकित है और वह पवित्र ग्रन्थ भी बिना किसी सूक्ष्म परिवर्तन के मूल रूप में मौजूद है। जिसको आपने यह कह कर लोगों के हवाले किया था, कि यह मेरे पास ईश्वर की ओर से आया है।

वास्तविकता यह है कि विशुद्ध ज्ञान एवं बौद्धिक दृष्टि से देखा जाये तो ''सत्य क्या है'' के प्रश्न का उत्तर न केवल वैचारिक स्तर से एक है बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी मैदान में मात्र एक ही उत्तर मौजूद है। हमें अनेक उत्तरों में से मात्र एक उत्तर का चुनाव नहीं करना है। बल्कि एक ही अन्तिम उत्तर को स्वीकार करना है। यह सत्यता ईश्वरीय-वाणी है और ईश्वरीय-वाणी सदैव एक ही रहती है। जिस प्रकार संसार की दूसरी वस्तुओं के लिये ईश्वरीय आदेश सदैव से एक ही है, उसी प्रकार मानव जाति के लिये भी ईश्वरीय आदेश एक है और सदैव एक ही रहेगा।

पृथ्वी एवं आकाश के नियम अरबों वर्ष व्यतीत होने पर तनिक भी परिवर्तित नहीं होते। वृक्ष एवं जल के सिद्धान्त जो एक भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, वही दूसरे क्षेत्र में भी होते हैं। यही हाल मानव के बारे में ईश्वर के आदेश का भी है। मानव के सम्बंध में ईश्वर का जो आदेश है, वही आज भी है, जो हज़ारों वर्ष पूर्व था। वह एक देश के निवासियों के लिये भी वही है जो दूसरे देश के निवासियों के लिये।

जीवन के कुछ पहलू तो परिवर्तनशील हैं उदाहरणार्थ सवारियां, निवास स्थान इत्यादि, परन्तु सत्य का सम्बंध इस प्रकार की वस्तुओं से नहीं है, सत्य का सम्बंध उस व्यक्ति से है, जो सदैव एक स्थिति में रहता है। सत्य का सम्बंध इससे है कि व्यक्ति किसको अपना जन्मदाता एवं स्वामी स्वीकार करे। वह किसके समक्ष झुके और किसकी उपासना करे। वह किससे भयभीत हो, और किससे प्रेम करे। वह अपनी सफलता और असफलता को किस पैमाने से परखे। उसके जीवन का उद्देश्य और भावनाओं का केन्द्र बिन्दु क्या हो? लोगों के मध्य रहते हुए वह किन नियमों के अंतर्गत उनसे संबंध रखे।

सत्य का संबंध जीवन के इन्ही कार्यों से है और यह क्रिया-कलाप वह है, जिनका कोई संबंध युग तथा भौगोलिक सीमा से नहीं है। वह प्रत्येक स्थान और प्रत्येक युग में समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षित होते हैं। ईश्वर एक एवं अनन्त है। ठीक इसी प्रकार सत्य भी एक है और शाश्वत भी। ■■

**यदि व्यक्ति सत्य की खोज में गंभीर हो जाए तो उसको इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। निःसन्देह अतीत में अनेक ईशदूत भेजे गए परन्तु मानव के पास अतीत की किसी भी घटना को मानने के लिए ठोस मापदंड यह है कि उसका ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हो।**

# प्रदूषण के मामले में भारत के शहर टॉप पर क्यों ?



दुनिया के पांच सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर- गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, भिवाड़ी और नोएडा दिल्ली के 80 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। एयर क्वालिटी के लिहाज़ से इस 80 किलोमीटर के दायरे की हवा सबसे ख़राब है। पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस ने 2018 में भारत के शहरों में प्रदूषण की स्थिति पर एक अध्ययन कराया था। इसके मुताबिक़ उस वक़्त दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारत के थे। इस अध्ययन के मुताबिक़ इन शहरों की हवा में ख़तरनाक कणों का स्तर डब्ल्यूएचओ के सुरक्षित मानकों से काफी ऊपर था। हवा में घुले इन महीन विषैले कणों को पार्टिकुलेट मैटर 2।5 (पीएम 2।5) कहा जाता है। ये महीन कण धुएं में मौजूद कार्बन के कण या धूल के कण या इनका मिश्रण हो सकते हैं।

डब्ल्यूएचओ के आकलन के मुताबिक़ दुनिया भर में लगभग 70 लाख लोग दिल्ली के मौजूदा स्मॉग जैसे हालात की चपेट में आकर समय से पहले मर जाते हैं। ऐसे हालात की वजह से स्ट्रोक, दिल का दौरा, डाइबिटीज़,फेफड़ों का कैंसर या फेफड़ों की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है।

दिल्ली और इसके आसपास रहने वाले क़रीब तीन करोड़ लोग पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा समय रिकार्ड लेवल के स्मॉग से जूझ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ इसी इलाक़े की दिक्कत नहीं है।

देश का उत्तरी हिस्सा, ख़ासकर गंगा का मैदानी इलाक़ा प्रदूषण की भारी चपेट में है। यहां तक कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देश को भी इससे ख़तरा है क्योंकि पश्चिमी हवाएं यहां की धूल और धुएं को उड़ा कर हिमालय तक ले जाती है।

तो सवाल ये है कि आख़िर भारत में हवा की गुणवत्ता ख़ासकर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इतनी ख़राब क्यों हो जाती है? दिल्ली के आसपास और उत्तरी भारत में खेतों में पड़ी पराली जलाने को मुख्य तौर पर प्रदूषण का ज़िम्मेदार माना जाता है। फसलों की कटाई के बाद नई फसल के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए किसानों के पास जो सबसे अच्छा और सस्ता तरीक़ा है वो है खेतों में पड़ी पराली को जलाना। लेकिन दिक्कत ये है पश्चिमी हवाएं पराली जलने से पैदा हुए धुएं को उड़ाकर दिल्ली की ओर ले जाती हैं। इससे हर साल इस समय दिल्ली में प्रदूषण बेहद ख़तरनाक स्तर पर पहुंच जाता है।

पराली जलाने के इस चलन को कम करने की सरकार की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं क्योंकि इस संबंध में बने नियमों का सही तरीक़े से पालन नहीं होता। इसके अलावा सरकार के पास इससे निपटने का कोई कारगर विकल्प भी नहीं है।भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और यहां खेतों में फसलों के कटाई के बाद उनके ठूंठ बड़े पैमाने पर जलाए जाते हैं। ख़ास कर उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में जो दिल्ली के अलावा देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं। ■■

# सावधान, सर्दियों में स्ट्रोक का ख़तरा!



सर्दी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। गुलाबी ठंड दस्तक देने लगी है। यह मौसम खाने-पीने, धूप सेंकने के लिहाज़ से काफ़ी अच्छा माना जाता है इसलिए लोग इसका बेसब्री से इंतिज़ार करते हैं। लेकिन, ठंड अपने साथ कई गंभीर बीमारियां भी लेकर आती है। इसमें से स्ट्रोक भी एक है। बता दें, ठंड की वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है जिससे ख़ून जमने लगता है। ऐसी स्थिति में रक्त दिमाग़ तक नहीं पहुंच पाता है जिससे मस्तिष्क के ऊतकों को अच्छी तरह से ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इस कारण दिमाग़ की कोशिकाएं कमज़ोर पड़ने लगती हैं जिससे स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। यह स्थिति बेहद गंभीर होती है।

कहते हैं, दिल और दिमाग़ को जो क़ाबू में रखता है, वह जीवन में सफल होता है। सच तो यह है कि जो शख़्स दिल और दिमाग़ की सेहत का ध्यान रखता है, वह सिर्फ़ सफल ही नहीं, बल्कि लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी भी जीता है। अगर हाई बीपी जैसी परेशानी है और ख़ून की नलियों का रास्ता संकरा हो चुका है तो ब्रेन में ब्लड क्लॉट की आशंका बढ़ जाती है। इससे स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ जाता है। ऐसे कई तरीक़े हैं




जिन्हें अपनाकर कोई भी शख़्स स्ट्रोक की परेशानियों से काफ़ी हद तक बचा रह सकता है।

हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ख़ून की ज़रूरत दिमाग़ को ही पड़ती है। शरीर में मौजूद 75 फ़ीसदी ख़ून का बहाव ब्रेन की ओर होता है और बाक़ी 25 फ़ीसदी से ही शरीर के बाक़ी हिस्सों का काम चलता है। सच तो यह है कि ख़ून के साथ एनर्जी की खपत भी दिमाग़ में ही सबसे ज़्यादा होती है। दिल जब ख़ून पंप करता है तो वह शरीर के बाक़ी हिस्सों के साथ दिमाग़ तक भी पहुंचता रहता है। उस ख़ून को दिमाग़ के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम ख़ून की नलियां करती हैं। इसमें कई बड़ी और लंबी नलियां होती हैं तो कई एकदम पतली-सी कैपलरीज। स्ट्रोक की समस्या तब आती है जब नलियां फट जाएं, नलियों में ख़ून जम जाए आदि। ख़ून जमने की वजह से अगर ख़ून का थक्का दिमाग़ के किसी हिस्से पर दबाव डालता है तो पैरालाइसिस की समस्या पैदा हो जाती है। ख़ून के थक्के से बोलने, चलने आदि में भी परेशानी हो सकती है। सर्दियों में दिल की बीमारियों के साथ ब्रेन स्ट्रोक का ख़तरा भी बढ़ जाता है। कुछ बातों का ध्यान रखें तो ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है।

### लक्षण

जब भी शरीर के किसी एक भाग में कमज़ोरी लगने लगे या बोलने में ज़ुबान लड़खड़ाए या बोली बंद हो जाए, देखने

में दिक्कत हो या फिर चलने-फिरने में परेशानी हो तो मरीज़ को फ़ौरन ही ऐसे हॉस्पिटल में लेकर पहुंचना चाहिए जहां ब्रेन स्ट्रोक का इलाज उपलब्ध हो। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी परेशानियों के उभरने के ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे के भीतर इलाज मिल जाना चाहिए। इससे मरीज़ के चंगा होने के आसार काफ़ी बढ़ जाते हैं।

### कारण

**1. रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना:** ठंड के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है–जो स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह है। यह बढ़ा हुआ दबाव हृदय प्रणाली पर दबाव डालता है। ख़ासकर जो लोग हाई ब्लडप्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें स्ट्रोक आने की संभावना ज़्यादा होती है।



**2. शारीरिक गतिविधि में कमी:** सर्दियों के दौरान ख़राब जीवनशैली और खानपान स्ट्रोक की एक बड़ी वजह है। दरअस्ल, ठंड बढ़ने से शारीरिक गतिविधि में कमी आती है और लोग आलस की वजह से अक्सर घर के अंदर रहते हैं। सर्दियों में हमारी दिनचर्या बदल जाती है। हम सुबह देर तक सोते हैं और ज़्यादा समय तक बेड में पड़े रहते हैं। एक्सरसाइज कम करते हैं। टहलना कम होता है। इन वजहों से ब्लड प्रेशर में इज़ाफ़ा हो जाता है। स्ट्रोक की आशंका बढ़ जाती है।

इस दौरान लोग व्यायाम कम करते हैं और हाई कैलोरी युक्त फ़ूड का सेवन ज़्यादा करते हैं जिससे वज़न तेज़ी से बढ़ता है। इस कारण ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल भी तेज़ी से बढ़ता है। ये कारक रक्त के गाढ़ेपन और थक्के बनने की संभावना को तेज़ी से बढ़ाते हैं।

**3. कम तापमान :** सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से ख़ून गाढ़ा होने लगता है जिससे रक्त में थक्का बनने लगता है और फिर इससे मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएं बंद हो सकती है। इससे स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। विशेष रूप से इस्केमिक स्ट्रोक के लिए ख़तरनाक, जहां रक्त के थक्के मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बाधित करते हैं।

**4. फ्लू :** सर्दी में फ्लू जैसे श्वसन संक्रमण की दर बढ़ जाती है। ये संक्रमण सूजन का कारण बनते हैं, जिससे रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ सकता है और स्ट्रोक का जोखिम बढ़ सकता है। सूजन धमनियों में प्लाक के फटने की संभावना को बढ़ाती है, जिससे थक्का बन सकता है और अंततः स्ट्रोक हो सकता है।

**5. धुम्रपान और शराब :** ऐसे लोग जिन्हें स्मोकिंग की आदत है, वे जाड़ों में ख़ुद को गर्म रखने के बहाने ज़्यादा स्मोक करते रहते हैं। तंबाकू का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। कुछ लोग इसी बहाने अल्कोहल का सेवन बढ़ा देते हैं। ये दोनों ही शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इससे बीपी में इज़ाफ़ा हो जाता है। इसलिए इन्हें फ़ौरन ही छोड़ देनी चाहिए। अगर छोड़ना मुश्किल हो तो इनकी मात्रा ज़रूर कम कर देनी चाहिए।

### बचाव

विंटर स्ट्रोक से बचने के लिए सर्द हवाओं से बचना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में आपको अपने आपको एक्टिव रखना होगा। जीवनशैली को बेहतर करने जैसे-एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर संतुलित डाइट लेना। रक्त वाहिका संकुचन को रोकने के लिए हमेशा गर्म कपड़े पहनने चाहिए और जोखिमों को कम करने के लिए श्वसन संक्रमण के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। नमक और वसा का कम सेवन चाहिए। तनावमुक्त जीवनशैली, सिगरेट, मदिरा और अन्य किसी भी नशे से दूरी स्ट्रोक की रोकथाम में लाभकारी होती है।

यदि स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाएं, क्योंकि स्ट्रोक के बाद एक-एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कभी-कभी स्ट्रोक के पहले भी कुछ मिनट के लिए स्ट्रोक जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं, जो स्वतः ठीक भी हो जाते हैं। इसे नज़रअंदाज़ करने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेकर इलाज शुरू करना चाहिए। इससे बड़े स्ट्रोक से बचा जा सकता है। ■■

# क्लाउड कंप्यूटिंग में बढ़ रहे हैं मौक़े



करियर

संपादन प्रभाग

क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित कामकाज देश और दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि 2025 तक देश में क़रीब 20 लाख क्लाउड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। आईटी सेक्टर में रुचि रखने वाले युवा इस तकनीक में कुशलता हासिल कर क्लाउड कंप्यूटिंग के मास्टर के रूप में अपने करियर को उड़ान दे सकते हैं।

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक हो या वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म यूट्यूब, इन पर रोज़ाना लाखों की संख्या में वीडियो एवं तस्वीरें अपलोड होती हैं। इतने सारे वीडियो को इंस्टॉल करने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वह है क्लाउड कंप्यूटिंग। गूगल ड्राइव भी एक बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है, जो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हज़ारों की संख्या में फ़ोटोज़, वीडियोज़, डाक्यूमेंट्स को स्टोर करता है।

इसने कारोबार को पहले से कहीं अधिक सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले वर्षों में अगर तमाम एसएमईज क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाती हैं, तो इसका बाज़ार 56 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा। इससे 1.1 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों के सृजित होने की संभावना है। फ़िलहाल, नैसकॉम का सर्वे कहता है कि 2020 में देश में तीन लाख 80 हज़ार के क़रीब नौकरियां क्रिएट हुई थीं। नैसकॉम की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक भारत को 20 लाख के क़रीब क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी। इसका तात्पर्य है कि युवाओं को बड़े स्तर पर इस क्षेत्र में कुशल बनाने की आवश्यकता है।

**क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित कामकाज देश और दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि 2025 तक देश में करीब 20 लाख क्लाउड प्रोफेशनल्स की जरुरत होगी। आईटी सेक्टर में रुचि रखने वाले युवा इस तकनीक में कुशलता हासिल कर क्लाउड कंप्यूटिंग के मास्टर के रुप में अपने करियर को उड़ान दे सकते हैं।**

**क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग :** क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल कर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। चाहे वह सॉफ्टवेयर प्रदान करना हो या सर्वर पर स्टोरेज स्पेस देना या कोई और सेवा। इसमें किसी भी प्रकार की कंप्यूटर की सर्विस को इंटरनेट के ज़रिए यूजर की मांग पर उसे प्रदान किया जाता है। जैसे, इस टेक्नोलॉजी में यूजर को इंटरनेट के एक सर्वर पर (जिसे क्लाउड

भी कहते हैं) डाटा स्टोरेज की सुविधा दी जाती है। यूजर क्लाउड पर सर्विस ख़रीदकर अपना डाटा उस पर सेव कर सकता है। यह डाटा वह दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकता है।

क्लाउड कंप्यूटिंग में बड़े सिस्टम्स को प्राइवेट या पब्लिक नेटवर्क से जोड़कर डाटा और फ़ाइल स्टोर कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटेशन, एप्लीकेशंस होस्टिंग, कंटेंट के स्टोरेज और डिलीवरी प्रोसेस में आने वाला ख़र्च काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसकी मदद से एक संस्था या कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक बदलाव लाए बिना विकास कर सकती है। उन्हें रिसोर्सेज एवं डाटा की शेयरिंग में काफ़ी फ़ायदा होता है। इससे वायरस से होने वाले नुक़सान के ख़तरे कम हो गए हैं। क्लाउड आधारित कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने वाले को न किसी हार्डड्राइव की ज़रूरत होती है और न ही मदरबोर्ड की। सिर्फ़ कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन और मोडम की मदद से कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है। इससे मैनपावर की ज़रूरत और ख़र्चे कम हो गए हैं।



**कैसे करता है काम :** क्लाउड मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं- प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। प्राइवेट क्लाउड के तहत एक कंपनी को प्राइवेट डोमेन दिया जाता है। इससे कंपनी को प्राइवेसी के साथ संवेदनशील डाटा की पूरी सुरक्षा मिलती है। पब्लिक क्लाउड में एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स मल्टीपल क्लाइंट्स को क्लाउड असाइन करते हैं। इसके एवज़ में उन्हें एक निश्चित रक़म अदा करनी होती है। सभी क्लाइंट्स सिंगल क्लाउड पर ऑपरेट करते हैं। वहीं, हाइब्रिड क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट का कांबिनेशन होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में महंगे सॉफ्टवेयर पैकेजेज और हार्डवेयर सिस्टम्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। सीधे इंटरनेट से सर्विस प्रोवाइडर को रक़म देकर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जा सकता है।

**शैक्षिक योग्यता :** क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या बीटेक में स्नातक के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइजेशन एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। वे क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइज़ेशन में बीटेक, स्टोरेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में मास्टर्स या फिर आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे कोर्स कर सकते हैं। हर संस्थान में कोर्स के अनुसार पात्रता निर्धारित होती है। वैसे, जिन छात्रों को इसमें आगे बढ़ने का जुनून है, वे डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करके भी आ सकते हैं। इन दिनों ऑफ़लाइन एवं ऑनलाइन कई एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं।

**बुनियादी कौशल :** क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रामिंग के अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट, क्लाउड एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट, एआई, मशीन लर्निंग जैसी स्किल्स होनी चाहिए। आपको कोडिंग के अलावा जावा स्क्रिप्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी रखनी होगी। वर्चुअल नेटवर्क एवं क्लाउड नेटवर्किंग की जितनी बेसिक नालेज होगी, उतना अच्छा। डाटा इंटीग्रेशन, डाटा एनालिटिक्स, डाटा माइनिंग जैसी स्किल्स भी आगे बढ़ने का भरपूर मौक़ा देती है।

**संभावनाएं :** भारत में ई-कॉमर्स कंपनियां और एसएमईज में क्लाउड कंप्यूटिंग पेशेवरों की मांग है, जो दिनों-दिन बढ़ ही रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग करने के उपरांत क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड ऑटोमेशन इंजीनियर, डाटा इंजीनियर, बैंक एंड डेवलपर, डेवलपमेंट ऑपरेशन इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, क्लाउड सिस्टमस एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड सर्विस डेवलपर, क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड कंसल्टेंट,

**बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल एवं ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में डिजिटल सर्विस के बढ़ते दायरे ने क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को साबित कर दिया है। आज क्लाउड स्ट्रेटेजी के बिना किसी भी बिजनेस की रणनीति नहीं तैयार हो रही है। विभिन्न क्षेत्र की कंपनियां वर्कलोड को मैनेज करने के लिए 'क्लाउड फर्स्ट पालिसी' अपना रही हैं। वहीं, रिमोट वर्किंग के ट्रेंड के कारण एक्सपर्ट क्लाउड प्रोफेशनल्स की इन दिनों काफी मांग देखी जा रही है।**



क्लाउड प्रोडक्ट मैनेजर, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के रूप में कार्य कर सकते हैं। टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोफेशनल्स को बड़े पैमाने पर नियुक्त करती हैं।

**डिजिटाइज़ेशन ने बढ़ाई क्लाउड प्रोफ़ेशनल्स की मांग :** जानकारों के अनुसार बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल एवं ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में डिजिटल सर्विस के बढ़ते दायरे ने क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को साबित कर दिया है। आज क्लाउड स्ट्रेटेजी के बिना किसी भी बिजनेस की रणनीति नहीं तैयार हो रही है। विभिन्न क्षेत्र की कंपनियां वर्कलोड को मैनेज करने के लिए 'क्लाउड फर्स्ट पालिसी' अपना रही हैं। वहीं, रिमोट वर्किंग के ट्रेंड के कारण एक्सपर्ट क्लाउड प्रोफेशनल्स की इन दिनों काफ़ी मांग देखी जा रही है। ऐसे में जो स्टूडेंट इस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, वे कुछ बेसिक टेक्निकल स्किल्स एवं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज (पाइथन, पावरशेल, शेल स्क्रिप्टिंग, गो आदि) की जानकारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए वे एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, गूगल क्लाउड प्लेटफार्म, ओरेकल, अमेजन वेब सर्विसेज जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफार्म्स की मदद ले सकते हैं। इस समय, कंपनियां क्लाउड माइग्रेशन, मशीन लर्निंग, एआई में कुशल पेशेवरों को हायरिंग में प्राथमिकता दे रही हैं। वैसे, सबसे अच्छा यह रहेगा कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस या आईटी में डिग्री लेने के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग में अतिरिक्त विशेषज्ञता हासिल कर इस ओर अपने क़दम बढ़ाएं। जितना अनुभव होगा, उतना ही आगे बढ़ेंगे।

**प्रमुख संस्थान**

एसआरएम यूनिवर्सिटी, चेन्नई
https://www.srmist.edu.in/
एलपीयू, जालंधर
https://www.lpu.in/
प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरू
https://presidencyuniversity.in/
शूलिनी यूनिवर्सिटी, सोलन
https://shooliniuniversity.com

■■



# क्षमा

**एक**

मुसलमानों को स्पेन-देश पर राज्य करते कई शताब्दियां बीत चुकी थीं। कलीसाओं की जगह मस्जिदें बनती जाती थीं; घंटों की जगह अज़ान की आवाज़ें सुनाई देती थी। ग़रनाता और अलहमरा में वे समय की नश्वर गति पर हंसने वाले प्रासाद बन चुके थे, जिनके खंडहर अब तक देखने वालों को अपने पूर्व ऐश्वर्य की झलक दिखाते हैं। ईसाइयों के गण्य-मान्य स्त्री और पुरुष मसीह की शरण छोड़कर इस्लामी भ्रातृत्व में सम्मिलित होते जाते थे, और आज तक इतिहासकारों को यह आश्चर्य है कि ईसाइयों का निशान वहां क्योंकर बाक़ी रहा! जो ईसाई-नेता अब तक मुसलमानों के सामने सिर न झुकाते थे, और अपने देश में स्वराज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे उनमें एक सौदागर दाऊद भी था। दाऊद विद्वान और साहसी था। वह अपने इलाक़े में इस्लाम को क़दम न जमाने देता था। दीन और निर्धन ईसाई विद्रोही देश के अन्य प्रांतों से आकर उसके शरणागत होते थे और वह बड़ी उदारता से उनका पालन-

**कहानी**



**मुंशी प्रेमचंद**

पोषण करता था। मुसलमान दाऊद से सशंक रहते थे। वे धर्म-बल से उस पर विजय न पाकर उसे शस्त्र-बल से परास्त करना चाहते थे। पर दाऊद कभी उनका सामना न करता। हां, जहां कहीं ईसाइयों के मुसलमान होने की ख़बर पाता, वहां हवा की तरह पहुंच जाता और तर्क या विनय से उन्हें अपने धर्म पर अचल रहने की प्रेरणा देता। अंत में मुसलमानों ने चारों तरफ़ से घेर कर उसे गिरफ़्तार करने की तैयारी की। सेनाओं ने उसके इलाक़े को घेर लिया। दाऊद को प्राण-रक्षा के लिए अपने संबंधियों के साथ भागना पड़ा। वह घर से ग़रनाता में आया, जहां उन दिनों इस्लामी राजधानी थी। वहां सबसे अलग रहकर वह अच्छे दिनों की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत करने लगा। मुसलमानों के गुप्तचर उसका पता लगाने के लिए बहुत सिर मारते थे, उसे पकड़ लाने के लिए बड़े-बड़े इनामों की विज्ञप्ति निकाली जाती थी; पर दाऊद की टोह न मिलती थी।

**दो**

एक दिन एकांतवास से उकताकर दाऊद ग़रनाता के एक बाग़ में सैर करने चला गया। संध्या हो गई थी। मुसलमान

नीची अबाएं पहने, बड़े-बड़े अमामे सिर पर बांधे, कमर से तलवार लटकाए रविशों में टहल रहे थे। स्त्रियां सफ़ेद बुर्क़े ओढ़े, ज़री की जूतियां पहने बेंचों और कुर्सियों पर बैठी हुई थीं। दाऊद सबसे अलग हरी-हरी घास पर लेटा हुआ सोच रहा था कि वह दिन कब आएगा, जब हमारी जन्मभूमि इन अत्याचारियों के पंजे से छूटेगी! वह अतीत काल की कल्पना कर रहा था, जब ईसाई स्त्री और पुरुष इन रविशों में टहलते होंगे, जब यह स्थान ईसाइयों के परस्पर वाग्विलास से गुलज़ार होगा।

सहसा एक मुसलमान युवक आकर दाऊद के पास बैठ गया। वह इसे सिर से पांव तक अपमान-सूचक दृष्टि से देखकर बोला—क्या अभी तक तुम्हारा हृदय इस्लाम की ज्योति से प्रकाशित नहीं हुआ?

दाऊद ने गंभीर भाव से कहा—इस्लाम की ज्योति पर्वत-शृंगों को प्रकाशित कर सकती है। अंधेरी घाटियों में उसका प्रवेश नहीं हो सकता।

उस मुसलमान अरब का नाम जमाल था। यह आक्षेप सुनकर तीखे स्वर में बोला—इससे तुम्हारा क्या मतलब है?

दाऊद—इससे मेरा मतलब यही है कि ईसाइयों में जो लोग उच्च श्रेणी के हैं, वे जागीरों और राज्याधिकारों के लोभ तथा राजदंड के भय से इस्लाम की शरण में आ सकते हैं; पर दुर्बल और दीन ईसाइयों के लिए इस्लाम में वह आसमान की बादशाहत कहां है जो हज़रत मसीह के दामन में उन्हें नसीब होगी! इस्लाम का प्रचार तलवार के बल से हुआ है, सेवा के बल से नहीं।

जमाल अपने धर्म का अपमान सुनकर तिलमिला उठा। गर्म होकर बोला—यह सर्वथा मिथ्या है। इस्लाम की शक्ति उसका आंतरिक भ्रातृत्व और साम्य है, तलवार नहीं।

दाऊद—इस्लाम ने धर्म के नाम पर जितना रक्त बहाया है, उसमें उसकी सारी मस्जिदें डूब जाएंगी।

जमाल—तलवार ने सदा सत्य की रक्षा की है।

दाऊद ने अविचलित भाव से कहा—जिसको तलवार का आश्रय लेना पड़े, वह सत्य ही नहीं।

जमाल जातीय गर्व से उन्मत्त होकर बोला—जब तक मिथ्या के भक्त रहेंगे, तब तक तलवार की ज़रूरत भी रहेगी।

**दाऊद ने अपनी छाती में छिपाई हुई कटार निकालकर कहा—नहीं, मैं निहत्था नहीं हूं। मुसलमानों पर जिस दिन इतना विश्वास करूंगा, उस दिन ईसाई न रहूंगा। तुम अपने दिल के अरमान निकाल लो। दोनों ने तलवारें खींच लीं। एक-दूसरे पर टूट पड़े।**

दाऊद—तलवार का मुंह ताकने वाला सत्य ही मिथ्या है।

अरब ने तलवार के क़ब्ज़े पर हाथ रखकर कहा—ख़ुदा की क़सम, अगर तुम निहत्थे न होते, तो तुम्हें इस्लाम की तौहीन करने का मज़ा चखा देता।

दाऊद ने अपनी छाती में छिपाई हुई कटार निकालकर कहा—नहीं, मैं निहत्था नहीं हूं। मुसलमानों पर जिस दिन इतना विश्वास करूंगा, उस दिन ईसाई न रहूंगा। तुम अपने दिल के अरमान निकाल लो।

दोनों ने तलवारें खींच लीं। एक-दूसरे पर टूट पड़े। अरब की भारी तलवार ईसाई की हलकी कटार के सामने शिथिल हो गई। एक सर्प की भांति फन से चोट करती थी, दूसरी नागिन की भांति उड़ती थी। लहरों की भांति लपकती थी, दूसरी जल की मछलियों की भांति चमकती थी। दोनों योद्धाओं में कुछ देर तक चोटें होती रहीं। सहसा एक बार नागिन उछलकर अरब के अंतस्तल में जा पहुंची। वह भूमि पर गिर पड़ा।

**तीन**

जमाल के गिरते ही चारों तरफ़ से लोग दौड़ पड़े। वे दाऊद को घेरने की चेष्टा करने लगे। दाऊद ने देखा, लोग तलवारें लिए दौड़े चले आ रहे हैं। प्राण लेकर भागा। पर जिधर जाता था, सामने बाग़ की दीवार रास्ता रोक लेती थी। दीवार ऊंची थी, उसे फांदना मुश्किल था। यह जीवन और मृत्यु का संग्राम था। कहीं शरण की आशा नहीं, कहीं छिपने का स्थान नहीं। उधर अरबों की रक्त-पिपासा प्रतिक्षण तीव्र होती जाती थी। यह केवल एक अपराधी को दंड देने की चेष्टा न थी। जातीय अपमान का बदला था। एक विजित ईसाई की यह हिम्मत कि अरब पर हाथ उठाए! ऐसा अनर्थ!

जिस तरह पीछा करने वाले कुत्तों के सामने गिलहरी इधर-उधर दौड़ती है, किसी वृक्ष पर चढ़ने की बार-बार चेष्टा करती है, पर हाथ-पांव फूल जाने के कारण बार-बार गिर पड़ती है, वही दशा दाऊद की थी।

दौड़ते-दौड़ते उसका दम फूल गया; पैर मन-मन भर के हो गए। कई बार जी में आया इन सब पर टूट पड़े और जितने महंगे प्राण बिक सकें, उतने महंगे बेचे; पर शत्रुओं की संख्या देखकर हतोत्साह

हो जाता था।

लेना, दौड़ना, पकड़ना का शोर मचा हुआ था। कभी-कभी पीछा करने वाले इतने निकट आ जाते थे कि मालूम होता था, अब संग्राम का अंत हुआ, वह तलवार पड़ी; पर पैरों की एक ही गति, एक कावा, एक कन्नी उसे ख़ून की प्यासी तलवार से बाल-बाल बचा लेती थी।

दाऊद को अब इस संग्राम में खिलाड़ियों का-सा आनंद आने लगा। यह निश्चय था कि उसके प्राण नहीं बच सकते, मुसलमान दया करना नहीं जानते, इसलिए उसे अपने दांव-पेंच में मज़ा आ रहा था। किसी वार से बचकर उसे अब इसकी ख़ुशी न होती थी कि उसके प्राण बच गए, बल्कि इसका आनंद होता था कि उसने क़ातिल को कैसा ज़िच किया।

सहसा उसे अपनी दाहिनी ओर बाग़ की दीवार कुछ नीची नज़र आई। आह! यह देखते ही उसके पैरों में एक नई शक्ति का संचार हो गया, धमनियों में नया रक्त दौड़ने लगा। वह हिरन की तरह उस तरफ़ दौड़ा और एक छलांग में बाग़ के उस पार पहुंच गया। ज़िंदगी और मौत में सिर्फ़ एक क़दम का फ़ासला था। पीछे मृत्यु थी और आगे जीवन का विस्तृत क्षेत्र। जहां तक दृष्टि जाती थी, झाड़ियां ही झाड़ियां नज़र आती थीं। ज़मीन पथरीली थी, कहीं ऊंची, कहीं, नीची। जगह-जगह पत्थर की शिलाएं पड़ी हुई थीं। दाऊद एक शिला के नीचे छिपकर बैठ गया।

दम-भर में पीछा करने वाले भी वहां आ पहुंचे और इधर-उधर झाड़ियों में, वृक्षों पर, गड्ढों में, शिलाओं के नीचे तलाश करने लगे। एक अरब उस चट्टान पर आकर खड़ा हो गया, जिसके नीचे दाऊद छिपा हुआ था। दाऊद का



कलेजा धक्-धक् कर रहा था। अब जान गई! अरब ने ज़रा नीचे को झांका, और प्राणों का अंत हुआ? संयोग, केवल संयोग पर अब उसका जीवन निर्भर था। दाऊद ने सांस रोक ली, सन्नाटा खींच लिया। एक निगाह पर उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला था, ज़िंदगी और मौत में कितना सामीप्य है!

मगर अरबों को इतना अवकाश कहां था कि वे सावधान होकर शिला के नीचे देखते। वहां तो हत्यारे को पकड़ने की जल्दी थी। दाऊद के सिर से बला टल गई। वे इधर-उधर ताक-झांककर आगे बढ़ गए।

**चार**

अंधेरा हो गया। आकाश में तारागण निकल आए और तारों के साथ दाऊद भी शिला के नीचे से निकला। लेकिन देखा, उस समय भी चारों तरफ़ हलचल मची हुई है, शत्रुओं का दल मशालें लिए झाड़ियों में घूम रहा है; नाकों पर भी पहरा है, कहीं निकल भागने का रास्ता नहीं है। दाऊद एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि अब क्योंकर जान बचे। उसे अपनी जान की वैसी परवा न थी। वह जीवन के सुख-दुख सब भोग चुका था। अगर उसे जीवन की लालसा थी, तो केवल यही देखने के लिए कि इस संग्राम का अंत क्या होगा। मेरे देशवासी हतोत्साह हो जाएंगे, या अदम्य धैर्य के साथ संग्राम-क्षेत्र में अटल रहेंगे।

जब रात अधिक बीत गई और शत्रुओं की घातक चेष्टा कुछ कम न होती दीख पड़ी तो दाऊद ख़ुदा का नाम लेकर झाड़ियों से निकला और दबे-पांव, वृक्षों की आड़ में, आदमियों की नज़र बचाता हुआ, एक तरफ़ को चला। वह इन झाड़ियों से निकलकर बस्ती में पहुंच जाना चाहता था। निर्जनता किसी की आड़ नहीं कर सकती। बस्ती का जन-बाहुल्य स्वयं आड़ है।

कुछ दूर तक तो दाऊद के मार्ग

में कोई बाधा न उपस्थित हुई, वन के वृक्षों ने उसकी रक्षा की; किंतु जब वह असमतल भूमि से निकलकर समतल भूमि पर आया, तो एक अरब की निगाह उस पर पड़ गई। उसने ललकारा। दाऊद भागा। क़ातिल भागा जाता है! यह आवाज़ हवा में एक ही बार गूंजी, और क्षण-भर में चारों तरफ़ से अरबों ने उसका पीछा किया। सामने बहुत दूर तक आबादी का नामोनिशान न था। बहुत दूर पर एक धुंधला-सा दीपक टिमटिमा रहा था। किसी तरह वहां तक पहुंच जाऊं। वह उस दीपक की ओर इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था, मानो वहां पहुंचते ही अभय पा जाएगा। आशा उसे उड़ाए लिए जाती थी। अरबों का समूह पीछे छूट गया, मशालों की ज्योति निष्प्रभ हो गई। केवल तारागण उसके साथ दौड़े चले आते थे। अंत को वह आशामय दीपक के सामने आ पहुंचा। एक छोटा-सा फूस का मकान था। एक बूढ़ा अरब ज़मीन पर बैठा हुआ रेहल पर कुरान रखे उसी दीपक के मंद प्रकाश से पढ़ रहा था। दाऊद आगे न जा सका। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। वह वहीं शिथिल होकर गिर पड़ा। रास्ते की थकन घर पहुंचने पर मालूम होती है।

अरब ने उठकर कहा—तू कौन है?

दाऊद—एक ग़रीब ईसाई। मुसीबत में फंस गया हूं। अब आप ही शरण दें, तो मेरे प्राण बच सकते हैं।

अरब—ख़ुदा-पाक तेरी मदद करेगा। तुम पर क्या मुसीबत पड़ी हुई है?

दाऊद—डरता हूं कहीं कह दूं तो आप भी मेरे ख़ून के प्यासे न हो जाएं।

अरब—अब तू मेरी शरण में आ गया, तो तुझे मुझसे कोई शंका न होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, जिसे एक बार अपनी शरण में ले लेते हैं उसकी ज़िंदगी-भर रक्षा करते हैं।

दाऊद—मैंने एक मुसलमान युवक की हत्या कर डाली है।

वृद्ध अरब का मुख क्रोध से विकृत हो गया, बोला—उसका नाम?

दाऊद—उसका नाम जमाल था।

अरब सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसकी आंखें सुर्ख़ हो गईं; गर्दन की नसें तन गईं; मुख पर अलौकिक तेजस्विता की आभा दिखाई दी, नथुने फड़कने लगे। ऐसा मालूम होता था कि उसके मन में भीषण द्वंद्व हो रहा है, और वह समस्त विचार-शक्ति से अपने मनोभावों

**अरब ने उठकर कहा—तू कौन है?
दाऊद—एक ग़रीब ईसाई। मुसीबत में फंस गया हूं। अब आप ही शरण दें, तो मेरे प्राण बच सकते हैं।
अरब—ख़ुदा-पाक तेरी मदद करेगा। तुम पर क्या मुसीबत पड़ी हुई है?
दाऊद—डरता हूं कहीं कह दूं तो आप भी मेरे ख़ून के प्यासे न हो जाएं।
अरब—अब तू मेरी शरण में आ गया, तो तुझे मुझसे कोई शंका न होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं, जिसे एक बार अपनी शरण में ले लेते हैं उसकी ज़िंदगी-भर रक्षा करते हैं।**

को दबा रहा है। दो-तीन मिनट तक वह इसी उग्र अवस्था में बैठा धरती की ओर ताकता रहा। अंत में अवरुद्ध कंठ से बोला—नहीं-नहीं, शरणागत की रक्षा करनी ही पड़ेगी। आह! जालिम! तू जानता है, मैं कौन हूं। मैं उसी युवक का अभागा पिता हूं, जिसकी आज तूने इतनी निर्दयता से हत्या की है! तू जानता है, तूने मुझ पर कितना बड़ा अत्याचार किया है? तूने मेरे ख़ानदान का निशान मिटा दिया है! मेरा चिराग़ गुल कर दिया! आह, जमाल मेरा इकलौता बेटा था। मेरी सारी अभिलाषाएं उसी पर निर्भर थीं। वह मेरी आंखों का उजाला, मुझ अंधे का सहारा, मेरे जीवन का आधार, मेरे जर्ज़र शरीर का प्राण था। अभी-अभी उसे क़ब्र की गोद में लिटाकर आया हूं। आह, मेरा शेर, आज ख़ाक के नीचे सो रहा है। ऐसा दिलेर, ऐसा दीनदार, ऐसा सजीला जवान मेरी क़ौम में दूसरा न था। जालिम, तुझे उस पर तलवार चलाते ज़रा भी दया न आई! तेरा पत्थर का कलेजा ज़रा भी न पसीजा! तू जानता है, मुझे इस वक़्त तुझ पर कितना ग़ुस्सा आ रहा है? मेरा जी चाहता है कि अपने दोनों हाथों से तेरी गर्दन पकड़कर इस तरह दबाऊं कि तेरी ज़बान बाहर निकल आए, तेरी आंखें कौड़ियों की तरह बाहर निकल पड़ें। पर नहीं, तूने मेरी शरण ली है, कर्तव्य मेरे हाथों को बांधे हुए है; क्योंकि हमारे रसूल-पाक ने हिदायत की है, कि जो अपनी पनाह में आए, उस पर हाथ न उठाओ। मैं नहीं चाहता कि नबी के हुक्म को तोड़कर दुनिया के साथ अपनी आक़िबत भी बिगाड़ लूं। दुनिया तूने बिगाड़ी, दीन अपने हाथों बिगाड़ लूं? नहीं। सब्र करना मुश्किल है; पर सब्र करूंगा। ताकि नबी के सामने आंखें नीची न करनी पड़ें। आ, घर में आ। तेरा पीछा करने वाले दौड़े आ रहे हैं। तुझे देख लेंगे, तो फिर मेरी सारी मिन्नत-समाजत तेरी जान न बचा सकेगी। तू नहीं जानता कि अरब लोग ख़ून कभी माफ़ नहीं करते।

यह कहकर अरब ने दाऊद का हाथ पकड़ लिया, और उसे घर में ले जाकर एक कोठरी में छिपा दिया। वह घर से बाहर निकला ही था कि अरबों का एक दल द्वार पर आ पहुंचा।

एक आदमी ने पूछा—क्यों शैख़ हसन, तुमने इधर से किसी को भागते देखा है?

'हां देखा है।'

'उसे पकड़ क्यों न लिया? वही तो जमाल का क़ातिल था!'

'यह जानकर भी मैंने उसे छोड़ दिया।'

'ऐ! गज़ब ख़ुदा का! यह तुमने क्या किया? जमाल हिसाब के दिन हमारा दामन पकड़ेगा, तो हम क्या जवाब देंगे?'

'तुम कह देना कि तेरे बाप ने तेरे क़ातिल को माफ़ कर दिया।'

'अरब ने कभी क़ातिल का ख़ून नहीं माफ़ किया।'

'यह तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, मैं उसे अपने सिर क्यों लूं?'

अरबों ने शैख़ हसन से ज़्यादा हुज़्ज़त न की, क़ातिल की तलाश में दौड़े। शैख़ हसन फिर चटाई पर बैठकर क़ुरआन पढ़ने लगा, लेकिन उसका मन पढ़ने में न लगता था। शत्रु से बदला लेने की प्रवृत्ति अरबों की प्रकृति में बद्धमूल होती थी। ख़ून का बदला ख़ून था। इसके लिए ख़ून की नदियां बह जाती थीं, क़बीले के क़बीले मर मिटते थे, शहर के शहर वीरान हो जाते थे। उस प्रवृत्ति पर विजय पाना शैख़ हसन को असाध्य-सा प्रतीत हो रहा था। बार-बार प्यारे पुत्र की सूरत उसकी आंखों के आगे फिरने लगती थी, बार-बार उसके मन में प्रबल उत्तेजना होती थी कि चलकर दाऊद के ख़ून से अपने क्रोध की आग बुझाऊं। अरब वीर होते थे। कटना-मरना उनके लिए कोई असाधारण बात न थी। मरने वालों के लिए वे आंसुओं की कुछ बूंदें बहाकर फिर अपने काम में प्रवृत्त हो जाते थे। वे मृत व्यक्ति की स्मृति को केवल उसी दशा में जीवित रखते थे, जब उसके ख़ून का बदला लेना होता था। अंत को शैख़ हसन अधीर हो उठा। उसको भय हुआ कि अब मैं अपने ऊपर क़ाबू नहीं रख सकता। उसने तलवार म्यान से निकाल ली, और दबे पांव उस कोठरी के द्वार पर आकर खड़ा हो गया, जिसमें दाऊद छिपा हुआ था। तलवार को दामन में छिपाकर उसने धीरे से द्वार खोला। दाऊद टहल रहा था। बूढ़े अरब का रौद्र रूप देखकर दाऊद उसके मनोवेग को ताड़ गया। उसे बूढ़े से सहानुभूति हो गई। उसने सोचा, यह धर्म का दोष नहीं, जाति का दोष नहीं। मेरे पुत्र की किसी ने हत्या की होती, तो कदाचित् मैं भी उसके ख़ून का प्यासा हो जाता। यही मानव-प्रकृति है।

**हमारे पाक नबी ने यह शिक्षा नहीं दी थी, जिस पर आज हम चल रहे हैं। वह स्वयं क्षमा और दया का सर्वोच्च आदर्श है। मैं इस्लाम के नाम को बट्टा न लगाऊंगा। मेरी ऊंटनी ले लो और रातों-रात जहां तक भागा जाए, भागो। कहीं एक क्षण के लिए भी न ठहरना। अरबों को तुम्हारी बू भी मिल गई, तो तुम्हारी जान की ख़ैरियत नहीं। जाओ, तुम्हें ख़ुदा-ए-पाक घर पहुंचावे। बूढ़े शैख़ हसन और उसके बेटे जमाल के लिए ख़ुदा से दुआ किया करना।**

अरब ने कहा—दाऊद, तुम्हें मालूम है बेटे की मौत का कितना ग़म होता है।

दाऊद—इसका अनुभव तो नहीं, पर अनुमान कर सकता हूं। अगर मेरी जान से आपके उस ग़म का एक हिस्सा भी मिट सके, तो लीजिए, यह सिर हाज़िर है। मैं इसे शौक़ से आपकी नज़र करता हूं। आपने दाऊद का नाम सुना होगा।

अरब—क्या पीटर का बेटा?

दाऊद—जी हां। मैं वही बदनसीब दाऊद हूं। मैं केवल आपके बेटे का घातक ही नहीं, इस्लाम का दुश्मन हूं। मेरी जान लेकर आप जमाल के ख़ून का बदला ही न लेंगे, बल्कि अपनी जाति और धर्म की सच्ची सेवा भी करेंगे।

शैख़ हसन ने गंभीर भाव से कहा—दाऊद, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैं जानता हूं, मुसलमानों के हाथ ईसाइयों को बहुत तक़लीफ़ें पहुंची हैं, मुसलमानों ने उन पर बड़े-बड़े अत्याचार किए हैं, उनकी स्वाधीनता हर ली है! लेकिन यह इस्लाम का नहीं, मुसलमानों का क़सूर है। विजय-गर्व ने मुसलमानों की मति हर ली है। हमारे पाक नबी ने यह शिक्षा नहीं दी थी, जिस पर आज हम चल रहे हैं। वह स्वयं क्षमा और दया का सर्वोच्च आदर्श है। मैं इस्लाम के नाम को बट्टा न लगाऊंगा।

मेरी ऊंटनी ले लो और रातों-रात जहां तक भागा जाए, भागो। कहीं एक क्षण के लिए भी न ठहरना। अरबों को तुम्हारी बू भी मिल गई, तो तुम्हारी जान की ख़ैरियत नहीं। जाओ, तुम्हें ख़ुदा-ए-पाक घर पहुंचावे। बूढ़े शैख़ हसन और उसके बेटे जमाल के लिए ख़ुदा से दुआ किया करना।

दाऊद ख़ैरियत से घर पहुंच गया; किंतु अब वह दाऊद न था, जो इस्लाम को जड़ से खोदकर फेंक देना चाहता था। उसके विचारों में गहरा परिवर्तन हो गया था। अब वह मुसलमानों का आदर करता और इस्लाम का नाम इज़्ज़त से लेता था। ■■



# अंतिम मार्गदर्शक

आख़िरी पन्ना



सरफ़राज़ आलम

आज से 1450 वर्ष पूर्व अरब की धरती पर एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, जिसने अपने कृत्यों से सम्पूर्ण विश्व को स्तब्ध कर दिया और जिसको आगे चलकर ईश्वर ने अपना अंतिम ईशदूत बनाया। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) एक महान व्यक्ति ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व के उद्धारक थे। इतिहास साक्षी है कि उनके अंदर वह तमाम गुण मौजूद थे जो एक विश्व नायक के अंदर होना चाहिए। आम तौर पर लोग उन्हें इस्लाम धर्म का प्रवर्तक मानते हैं परन्तु सत्य यह है कि वह ईश्वर के अंतिम दूत थे जिन्हें ईश्वर ने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए धरती पर अवतरित किया था। इस्लाम धर्म की मान्यता है कि मानव जाति के कल्याण के लिए भविष्य में कोई ईश्वर का दूत नहीं आएगा, इसलिए अब हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षा का पालन करना चाहिए।

इतिहासकारों और विद्धानों ने अब तक जन्मे अनेक महापुरुषों के जीवन का अध्ययन किया और पाया कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के अंदर वह तमाम गुण मौजूद थे जो उन्हें श्रेष्ठतम बनाते हैं।

**100 व्यक्तियों की सूची में मुहम्मद साहब को प्रथम स्थान पर रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने विश्व इतिहास को सबसे अधिक प्रभावित किया है। लेखक बार-बार इस बात पर ज़ोर देता है कि मैंने इस पुस्तक में प्रस्तुत तमाम हस्तियों का वर्णन केवल उनकी उपलब्धियों के आधार पर नहीं किया है अपितु उनके विश्वव्यापी प्रभाव को मानक बनाया है।**

विश्व प्रसिद्ध महान विद्वान और विचारक Michael H. Hart ने अपनी मशहूर पुस्तक "The 100" A Ranking of the Most Influential Persons in History में विश्व के सौ व्यक्तियों के जीवन का गहन अध्ययन किया और पाया कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के व्यक्तित्व में वह तमाम सद्गुण थे जो उन्हें प्रथम स्थान दिलाने के लिए मजबूर करते हैं। लेखक ने बताया है कि मेरी नज़र में जहां सौ व्यक्ति महान थे वहीं हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली था। 100 व्यक्तियों की सूची में मुहम्मद साहब को प्रथम स्थान पर रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने विश्व इतिहास को सबसे अधिक प्रभावित किया है। लेखक बार-बार इस बात पर ज़ोर देता है कि मैंने इस पुस्तक में प्रस्तुत तमाम हस्तियों का वर्णन केवल उनकी उपलब्धियों के आधार पर नहीं किया है अपितु उनके विश्वव्यापी प्रभाव को मानक बनाया है।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का ज़िक्र करते हुए आरंभ में ही लेखक कहता है समस्त विश्व इतिहास में वह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सांसारिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में पूर्ण रूप से सफल हुए। वह एक

**ईश्वर ने पवित्र क़ुरआन आप पर अवतरित किया, जो बिना किसी बदलाव के साथ 1450 वर्षों से पवित्र ग्रन्थ के रूप में समस्त विश्व में मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। पवित्र क़ुरआन सारी मानवता के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक है। यह जीवन के आदर्श तरीक़े का मार्गदर्शक है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन सीखों को कैसे लेते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं।**



अत्यंत सफल राजनीतिज्ञ भी सिद्ध हुए। आज 1400 वर्षों के बाद भी विश्व भर में मनुष्य पर उनके व्यक्तित्व एवं शिक्षा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इस पुस्तक के सभी व्यक्तियों का जन्म एक सभ्य समाज में हुआ और वे उच्च संस्कृति में पले-बढ़े जबकि मुहम्मद (सल्ल.) का जन्म अरब के शहर मक्का में 570 ई. में हुआ जो उस समय विश्व का सबसे पिछड़ा हुआ समाज था। मक्का शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा हुआ शहर माना जाता था।

विश्वनेता सिद्ध होने के लिए मुख्यतः चार विशेषताएं आवश्यक हैं जो ऐतिहासिक रूप से हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) में पाए जाते हैं। पहला वह जाति, वंश या वर्ग से परे समस्त मनुष्य को समान समझते थे और सभी के समान शुभचिन्तक थे। दूसरे उन्होंने जो सिद्धांत पेश किए वह मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। तीसरे उनका पथ-प्रदर्शन किसी विशेष क्षेत्र या काल के लिए नहीं बल्कि हर काल और हर स्थिति के लिए समान रूप से अनुकरणीय है। चौथा उन्होंने केवल सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उनको जीवन में कार्यान्वित करके भी दिखा दिया।

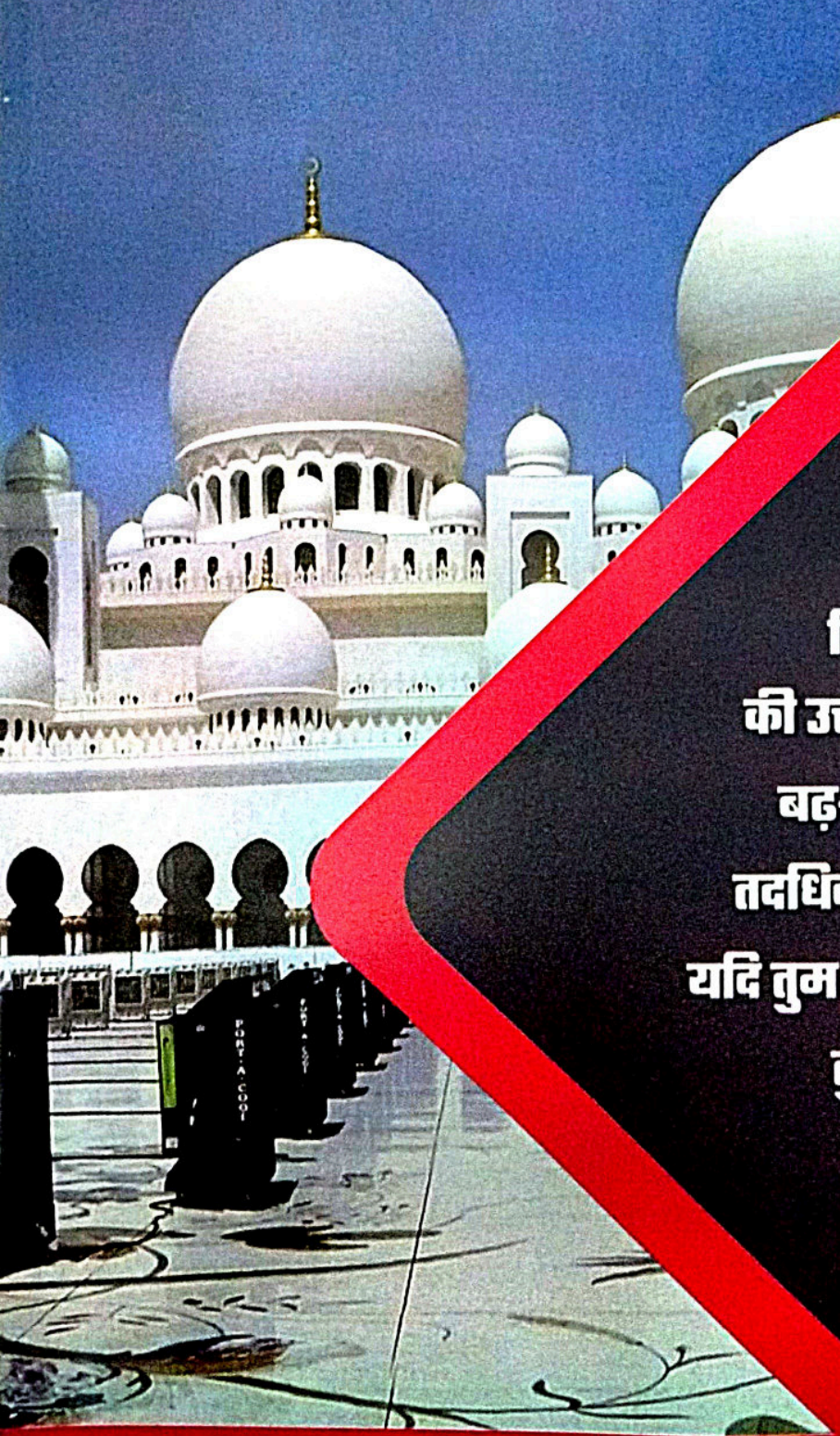
अरब के असभ्य समाज में उनके शत्रु भी गवाही देने के लिए मजबूर थे कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने कभी झूठ नहीं बोला, किसी का अधिकार नहीं छीना, किसी से दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं कहा। जिन लोगों से उनके संबंध थे उनकी सत्यता पर इतना विश्वास रखते थे कि अरब समाज में उनको "अमीन" (सत्यवादी एवं धरोहर रक्षक) के नाम से जाना जाता था। उनके शत्रु भी उनके पास अपना क़ीमती सामान रखवाते थे। जुआ और शराब को कभी छुआ तक नहीं। शर्मीले इतने कि होश संभालने के बाद किसी ने उनको नंगा नहीं देखा। वह सभी के दुख-दर्द में काम आते थे। अनाथ बच्चों को गले लगाते थे और विधवाओं की सहायता करते थे। यात्रियों की सेवा करते थे और वृद्धों का बोझ उठाते थे।

40 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपने आसपास के समाज में अनैतिकता, दुश्चरित्रता, दुर्व्यवहार, दुराचार, अव्यवस्था आदि को देखा और चिंतित होकर आबादी से दूर पहाड़ की गुफ़ा में बैठकर विचार करने लगे। कई दिनों तक व्रत रखकर अपनी आत्मा, हृदय और मस्तिष्क को शुद्ध करके इन समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने लगे। वह ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहते थे जिससे बिगड़े हुए संसार को तोड़-फोड़कर फिर से संवारा जा सके। सहसा उनको अपने हृदय में शक्ति के प्रकाश का अनुभव हुआ जिसके नेतृत्व में वह समस्त मनुष्य जाति का जीवनपर्यन्त उद्धार करते रहे।

ईश्वर ने पवित्र क़ुरआन आप पर अवतरित किया, जो बिना किसी बदलाव के साथ 1450 वर्षों से पवित्र ग्रन्थ के रूप में समस्त विश्व में मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन कर रहा है। पवित्र क़ुरआन सारी दुनिया के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक है। यह जीवन के आदर्श तरीक़े का मार्गदर्शक है। ईश्वर के सच्चे और वास्तविक शब्द होने के नाते, क़ुरआन में बहुत सारे अमूल्य पाठ और जानकारी शामिल हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन सीखों को कैसे लेते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। क़ुरआन में वर्णित शिक्षाएं अंतिम हैं। जब भी आप इसे पढ़ते हैं, मन में कुछ नया उभरता है। ■■

A Well Wisher

# J.I.H. Karbala, Jaipur (Raj)



और यह कि अपने रब से क्षमा माँगो, फिर उसकी ओर पलट आओ। वह तुम्हें एक निश्चित अवधि तक सुखोपभोग की उत्तम सामग्री प्रदान करेगा। और बढ़- चढ़कर कर्म करनेवालों पर वह तदधिक अपना अनुग्रह करेगा, किन्तु यदि तुम मुँह फेरते हो तो निश्चय ही मुझे तुम्हारे विषय में एक बड़े दिन की यातना का भय है।

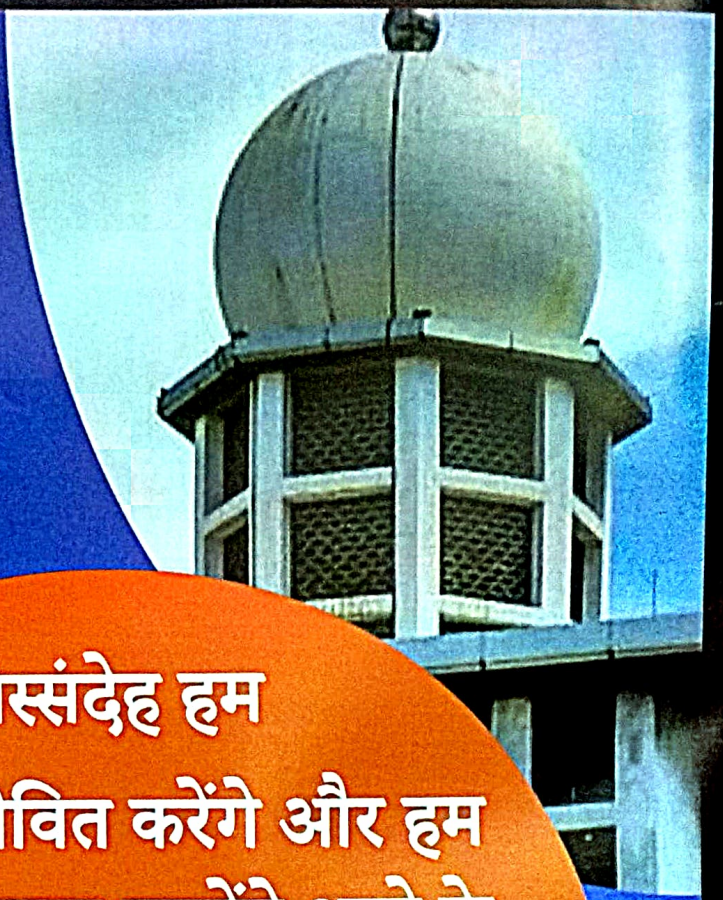
(क़ुरआन, 11:3)

**KANTI** Monthly, New Delhi
DECEMBER 2024
Posted on 20-21 November 2024
Published on 18 November 2024
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52

*A Well Wisher*

# J.I.H. Khajarana Indore (MP)



निस्संदेह हम मुर्दों को जीवित करेंगे और हम लिखेंगे जो कुछ उन्होंने आगे के लिए भेजा और उनके चिन्हों को (जो पीछे रहा) । हर चीज़ हमने एक स्पष्ट किताब में गिन रखी है।

(क़ुरआन, 36:12)